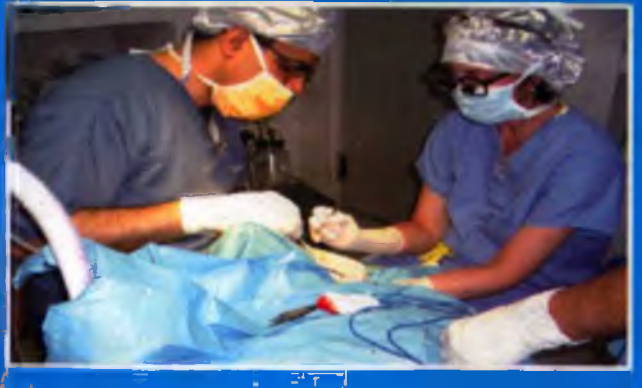

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2009-2010

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या-312

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2009-2010

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उत्तर प्रदेश

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14496
Date : 24-7-2013
Documentation Centre

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा''** नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है । इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का विश्लेषण कर तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2009-2010 में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही सभी प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, उद्योग, खनिज एवं विद्युत, सड़क, परिवहन एवं संचार, सामाजिक सेवायें, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन आदि से सम्बन्धित अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग कर विश्लेषण अलग अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

3. इस समीक्षा को तैयार करने के सम्बन्ध में श्रीमती अलका ढौंडियाल, उप निदेशक के कुशल मार्ग निर्देशन तथा श्रीमती कंचन जायसवाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी के प्रभावी पर्यवेक्षण में श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्रीमती रेखा शुक्ला, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रीमती मणि श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक तथा प्रभाग के ग्राफ अनुभाग द्वारा दिया गया योगदान एवं किया गया परिश्रम सराहनीय रहा है।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत समीक्षा नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों को सहर्ष विचारार्थ स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः
दिनांकः जनवरी 07, 2011

(हिमांशु सिंह)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

उत्तर प्रदेश का मानचित्र

अनुमानित मानचित्र

(31.3.10 की स्थिति के अनुसार)

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य स्थिति	1-10
2.	आर्थिक स्थिति	11-23
3.	कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	24-39
4.	उद्योग, खनिज एवं विद्युत	40-57
5.	सड़क, परिवहन एवं संचार	58-66
6.	सामाजिक सेवायें	67-87
7.	श्रम-शक्ति एवं सेवायोजन	88-98
8.	प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशायें	99 -102
	परिशिष्ट	103

****

अध्याय-1

सामान्य स्थिति

भौगोलिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम् राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तरांचल राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती है । इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 241 हजार वर्ग किमी है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (3287 हजार वर्ग किमी.) का 7.33 प्रतिशत है । क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9. 37 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (8.37 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के पांचवे विशाल राज्य के रूप में है ।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश को 18 मण्डलों, 71 जनपदों एवं 312 तहसीलों (31-03-2010 की स्थिति के अनुसार) में विभाजित किया गया है । प्रदेश के संतुलित आर्थिक विकास हेतु इसे 4 आर्थिक क्षेत्रों तथा पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय व्यवस्था के सुचार संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश 689 नगर एवं नगर समूहों में विभाजित है । साथ ही ग्रामीण अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 820 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये है ।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1662 लाख है, जो भारत की वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या (10287 लाख) का 16.2 प्रतिशत है । प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 है जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 64.8 है। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1662 लाख) में 876 लाख (52.7 प्रतिशत)

पुरूष तथा 786 लाख (47.3 प्रतिशत) स्त्रियां पायी गयी । कुल जनसंख्या में 1317 लाख (79.22 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या तथा 345 लाख (20.78 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या थी । उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मदों के आंकड़े तालिका-1.1 में दर्शाये गये है:-

तालिका-1.1

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मदों के आंकडे

क्रमांक	मद	2001
1	कुल जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि (1991-2001)	25.8
2	ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि (1991-2001)	24.1
3	नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि (1991-2001)	33.0
4	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (लाख में)	351.48
5	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या "	1.08
6	साक्षर (लाख में) व्यक्ति	757
	पुरूष	489
	स्त्री	268
7	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश	20.8

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1661.98 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमश: 351.48 लाख एवं 1.08 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमश: 21.1 प्रतिशत तथा 0.1 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमश: 16.2 एवं 8.2 थी ।

जनसंख्या की वृद्धि दर

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1991-2001 की अवधि में कुल जनसंख्या के दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा, जबकि 1981-1991 की अवधि में चौदहवां स्थान था । उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के 1991-2001 की अवधि में दशकीय वृद्धि (25.8 प्रतिशत) उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (21.5 प्रतिशत) से अधिक रही ।

उत्तर प्रदेश के जनगणना 1991 एवं 2001 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका-1.2 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका–1.2

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

कमांक	मद		1991	2001
1	2		3	4
1	कुल जनसंख्या (लाख में)		1321	1662
2	ग्रामीण जनसंख्या "		1061	1317
3	नगरीय जनसंख्या "		260	345
4	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		548	690
5	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या		876	898
6	कुल जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि (1981–1991, 1991–2001)		25.6	25.8
7	साक्षरता प्रतिशत	व्यक्ति	41.6	56.3
		पुरूष	55.7	68.8
		स्त्री	25.3	42.2

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े तालिका 1.3 में दिये जा रहे हैं:-

तालिका–1.3

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2001 के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े :-

आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या का प्रतिशत अंश	भौगोलिक क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1 पूर्वी	666	40.1	86(35.6)	776	946
2 पश्चिमी	612	36.8	80(33.2)	767	862
3 केन्द्रीय	302	18.1	46(19.0)	658	879
4 बुन्देलखण्ड	82	5.0	29(12.2)	280	863
उत्तर प्रदेश	**1662**	**100.0**	**241(100.0)**	**690**	**898**

तालिकागत आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.1 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमश: पश्चिमी क्षेत्र (36.8 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.1 प्रतिशत) तथा सबसे बाद में बुन्देलखण्ड क्षेत्र (5.0 प्रतिशत) आता है । क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत क्षेत्रफल), केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत क्षेत्रफल) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत क्षेत्रफल) का स्थान है ।

इसी प्रकार प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 898 है, जबकि वर्ष 1991 में यह 876 ही थी । भारत में वर्ष 2001 में यह संख्या 933 है, जबकि वर्ष 1991 में यह 927 ही थी । प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2001 में यह संख्या सर्वाधिक 946 है, इसके पश्चात् केन्द्रीय क्षेत्र में यह संख्या 879, बुन्देल खण्ड क्षेत्र में 863 तथा पश्चिमी क्षेत्र में यह 862 ही है।

साक्षरता प्रतिशत :

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 757 लाख है, जिनमें 489 लाख पुरूष तथा 268 लाख महिला साक्षर है । वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 है, जो भारत के सम्वादी अवधि के साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम है ।

वर्ष 1951 से 2001 की अवधि में उत्तर प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े तालिका 1.4 में दर्शाये गये है:-

तालिका-1.4

उत्तर प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1	2	3	4
1951	12.02	19.17	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	41.60	55.73	25.31
2001	56.27	68.82	42.22

टिप्पणी :-

वर्ष 1951, 1961 एवं 1971 के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े 5 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 के आंकड़े 7 वर्ष एवं उससे अधिक के आयु वर्ष की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है ।

जनगणना 2001 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के उत्तर प्रदेश एवं भारत के आंकड़े तालिका 1.5 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-1.5

उत्तर प्रदेश एवं भारत के वर्ष 2001 के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

क्रमांक	मद	उत्तर प्रदेश	भारत
1	2	3	4
1.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत	23.7	30.4
2.	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	21.1	16.2
3.	कुल जनसंख्या में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	0.1	8.2
4.	1991-2001 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि	25.8	21.5
5.	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	690	325
6.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	20.8	27.8
7.	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या	898	933

कर्मकर :

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या 540 लाख है, जिसमें 222 लाख कृषक, 134 लाख कृषि श्रमिक, 30 लाख पारिवारिक उद्योग में लगे श्रमिक तथा 154 लाख अन्य कार्यों में लगे श्रमिक हैं । कुल कर्मकरों में 393 लाख मुख्य कर्मकर तथा 147 लाख सीमान्त कर्मकर हैं । कुल कर्मकरों में कृषक 41.1 प्रतिशत, कृषि श्रमिक 24.8 प्रतिशत, पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकर 5.6 प्रतिशत तथा अन्य कार्यों में लगे कर्मकर 28.5 प्रतिशत हैं ।

उत्पादन :

उत्तर प्रदेश के कृषि फसलों के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों के उत्पादन एवं औसत उपज के आंकड़े तालिका 1.6 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका–1.6

मद	2008–09	2009–10*	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
उत्पादन (हजार मी. टन)			
1– कुल खाद्यान्न	47382	43099	(–)9.0
2– कुल अनाज	45297	41258	(–)8.9
3– कुल दालें	2085	1842	(–)11.7
4– गेहूँ	28977	27518	(–)5.0
5– धान	19571	16166	(–)17.4
6– गन्ना	111034	117140	5.5
7– चना	638	509	(–)20.2
8– कुल तिलहन (शुद्ध)	836	816	(–)2.4
9– आलू	10635	13447	26.4
10– चावल	13047	10777	(–)17.4
औसत उपज (कु./हे.)			
1– कुल खाद्यान्न	23.63	22.42	(–)5.1
2– कुल अनाज	25.54	24.61	(–)3.6
3– कुल दालें	8.87	7.51	(–)16.5
4– गेहूँ	29.97	28.46	(–)5.0
5– धान	32.66	31.25	(–)4.3
6– गन्ना	524.67	592.42	12.9
7– चना	10.14	8.23	(–)18.8
8– कुल तिलहन (शुद्ध)	8.87	7.53	15.1
9– आलू	205.46	248.66	21.0
10– चावल	21.77	20.83	(–)4.3

*अनन्तिम

तालिका–1.7

उत्तर प्रदेश एवं भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आंकडे

(किलोग्राम में)

मद	उत्तर प्रदेश		भारत	
	2007–08	2008–09	2007–08	2008–09
1– गेहूँ	2799	2997	2802	2907
2– चावल	2057	2177	2202	2178
3– आलू	22219	20546	18331	18810
4– गन्ना	57223	52467	68877	64553

सिंचाई सुविधा :

कृषि उपज में आवश्यक वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-08 में 335.36 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता उपलब्ध थी, जो वर्ष 2008-09 में 1.4 प्रतिशत बढ़कर 339.94 लाख हेक्टेयर हो गयी ।

विद्युत :

वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 5046.48 मेगावाट थी, जो भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता 147965.41 मेगावाट का मात्र 3.4 प्रतिशत रही । वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन 2519.06 करोड़ कि. वाट घंटा तथा विद्युत उपभोग 3963.68 करोड़ कि. वाट घंटा रहा । उत्तर प्रदेश में एल.टी.मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2008-09 में 86899 एवं वर्ष 2009-10 में 87064 थी । उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2008-09 में 109.51 लाख तथा वर्ष 2009-10 में 114.98 लाख थी तथा इन्हीं वर्षों में संयोजित भार कमशः 28120 मेगावाट तथा 29778 मेगावाट था ।

सामाजिक सुविधाएं :

सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 146568, सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 52155 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 16510 थी। प्रदेश में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 30 विश्वविद्यालय, 2789 महाविद्यालय तथा प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु वर्ष 2009-10 में 139 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान एवं 7 इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत थे। प्रति लाख जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक विद्यालयों, सीनियर बेसिक विद्यालयों तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या वर्ष 2006-07 में कमशः 74, 24 व 8 थी, जबकि इन्हीं संस्थाओं के अन्तर्गत भारत में इनकी संख्या कमशः 70, 27 व 15 थी ।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2010 में एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 4780 तथा वर्ष 2009-10 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या 2367 एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 1575 थी । इस प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर उक्त वर्ष में चिकित्सालयों की संख्या क्रमश: 2.44, 1.21 एवं 0.81 है ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में स्वच्छ पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 628 रही । इस प्रकार पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या, कुल नगरों की संख्या (689) का 91.1 प्रतिशत है ।

औद्योगिक विकास :

भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्त्रोत वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण है । उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2006-07 के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2006-07 में भारत में कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या 138617 थी, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संख्या 10366 थी, जो भारत के पंजीकृत कार्यरत् कारखानों का मात्र 7.48 प्रतिशत थी । इसी अवधि में उत्तर प्रदेश का शुद्ध आवर्धित मूल्य 22828 करोड़ रूपये था, जो भारत के शुद्ध आवर्धित मूल्य 395725 करोड़ रूपये का मात्र 5.77 प्रतिशत था । वर्ष 2006-07 में उत्तर प्रदेश में 695 हजार कर्मचारी कार्यरत थे, जो भारत के कार्यरत 10328 हजार कर्मचारियों का मात्र 6.73 प्रतिशत थे ।

पूँजी निवेश :

प्रदेश में पूंजी निवेश के आंकलन के लिए सर्वाधिक सुलभ एवं उपयुक्त माध्यम आवंटित योजना परिव्यय है । प्रदेश के योजना व्यय/परिव्यय के आंकड़े तालिका 1.8 में दर्शाये गये है:-

तालिका–1.8

उत्तर प्रदेश एवं भारत का कुल योजना व्यय/परिव्यय

योजनावधि	कुल योजना व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपये)		भारत के योजना व्यय/परिव्यय में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत अंश
	उत्तर प्रदेश	भारत	
1	2	3	4
1–प्रथम योजना (1951–56)	166	1960	8.47
2–द्वितीय योजना (1956–61)	228	4672	4.88
3–तृतीय योजना (1961–66)	560	8577	6.53
4–वार्षिक योजना (1966–69)	451	6603	6.83
5–चतुर्थ योजना (1969–74)	1163	7675	15.15
6–पांचवी योजना (1974–79)	2909	19571	14.86
7–वार्षिक योजना (1979–80)	829	12176	6.81
8–छठी योजना (1980–85)	6519	48482	13.45
9–सातवीं योजना (1985–90)	11269	85161	13.23
10–वार्षिक योजना (1990–92)	6904	123120	5.61
11–आठवीं योजना (1992–97)	21680	186617	11.62
12–नवीं योजना (1997–2002)	28309	350464	8.08
13–दसवींयोजना (2002–2007)	54798	617287	8.88
14–ग्यारहवींयोजना (2007–2012)*	181094	1477615	12.26

स्रोत :– उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रुपरेखा 2010-2011

*परिव्यय

उक्त तालिका से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर किया गया कुल व्यय भारत स्तर पर किये गये कुल व्यय का 4.88 प्रतिशत से 15.15 प्रतिशत के मध्य ही रहा जबकि प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में अंशदान 16.2 प्रतिशत है ।

संस्थागत वित्त

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 10191 थी, जो भारत की उक्त अवधि में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या (83997) का 12.1

प्रतिशत है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या 19 हजार है, जबकि भारत में प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या 14 हजार है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमाअनुपात वर्ष 2009-10 में 42.57 प्रतिशत था, जबकि भारत का औसत 72.70 प्रतिशत का था। अन्य विकसित प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का ऋण जमाअनुपात कम है। सर्वाधिक ऋण जमाअनुपात (112.65 प्रतिशत) तमिलनाडु में रहा । इसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश (105.14 प्रतिशत), राजस्थान (88.21 प्रतिशत), महाराष्ट्र (81.29 प्रतिशत), कर्नाटक (76.92 प्रतिशत), दिल्ली (75.12 प्रतिशत), पंजाब (71.10 प्रतिशत), गुजरात (65.28 प्रतिशत) तथा केरल (63.59 प्रतिशत) रहे ।

उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण तालिका-1.9 में दिये जा रहे है:-

तालिका-1.9

उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण 2008-09

(करोड़ रुपये)

संस्थायें	वितरित ऋण	उत्तर प्रदेश का समस्त भारत से प्रतिशत
1	2	3
1-इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया(2007-08)	292.10	2.09
2-इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया (2002-03)	720.90	2.79
3-इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया	292.62	8.83
4-यू.पी.फाइनेंशियल कारपोरेशन	-	-
5-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (2005-06)	1548.99	17.96
6-रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन	4800.98	8.77
7-भारतीय जीवन बीमा निगम	109.45	24.56

स्रोत :- संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0।

****

अध्याय–2

आर्थिक स्थिति

वर्ष के दौरान विभिन्न आर्थिक स्त्रोतों में किये गये कार्यकलापों का सीधा प्रभाव राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। किसी प्रदेश की राज्य आय एवं प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। राज्य आय अथवा निवल राज्य घरेलू उत्पाद आलोच्य वर्ष की अवधि में राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के परिमाण के मूल्य का द्योतक है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के आंकलन की जानकारी हेतु राज्य आय का विश्लेषण इस अध्याय के विभिन्न प्रस्तरों में किया गया है।

राज्य आय की प्रवृत्ति

प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति के अभिज्ञान हेतु तालिका 2.1 में निवल राज्य आय के अनुमान दर्शाये गये है:-

तालिका–2.1

उत्तर प्रदेश में निवल आय की प्रवृत्ति

वर्ष	निवल राज्य आय (करोड़ रु0)		निवल राष्ट्रीय आय में निवल राज्य आय का प्रतिशत अंश	
	प्रचलित भावों पर	1999–2000 के स्थायी भावों पर	प्रचलित भावों पर	1999–2000 के स्थायी भावों पर
1	2	3	4	5
1999–00	156809	156809	9.9	9.9
2000–01	161769	160015	9.5	9.7
2001–02	168370	162926	9.1	9.3
2002–03	182652	168198	9.2	9.3
2003–04	200463	177054	9.0	9.0
2004–05	217577	185920	8.6	8.8
2005–06	241922	195804	8.4	8.5
2006–07	271532	209623	8.2	8.3
2007–08*	310334	226223	8.2	8.2
2008–09#	359836	243035	8.3	8.3

*अनन्तिम अनुमान #त्वरित अनुमान

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर निवल राज्य आय में निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर हुई । प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश की निवल आय वर्ष 1999-2000 में 156809 करोड़ रुपये थी जो 3.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2000-01 में 161769 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2001-02 में यह गत वर्ष की अपेक्षा 4.1 प्रतिशत बढ़कर 168370 करोड़ रुपये हो गयी। उसके पश्चात् भी यह निरन्तर बढ़ती हुई वर्ष 2007-08 में 310334 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2008-09 में यह गत वर्ष की तुलना में 16.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 359836 करोड़ रुपये हो गयी । उक्त तालिका से यह भी विदित होता है कि प्रचलित भावों पर यद्यपि उत्तर प्रदेश की निवल आय में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हुई है तथापि निवल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 1999-2000 में 9.9 प्रतिशत रहा, जो घटकर वर्ष 2008-09 में 8.3 प्रतिशत ही रह गया।

स्थायी भावों पर वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश की निवल आय 156809 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2007-08 में 226223 करोड़ रुपये और वर्ष 2008-09 में 243035 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार 2000-2009 की अवधि में इसमें 55.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। प्रचलित भावों की तरह ही स्थायी भावों पर संगणित निवल राज्य आय का निवल राष्ट्रीय आय में योगदान कम होता गया । वर्ष 1999-2000 के स्थायी भावों पर निवल राष्ट्रीय आय में निवल राज्य आय का योगदान वर्ष 1999-2000 में 9.9 प्रतिशत रहा जो घटकर वर्ष 2008-09 में 8.3 प्रतिशत ही रह गया ।

<u>राज्य आय की खण्डीय संरचना</u>

राज्य की अर्थ व्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों तथा निश्चित अवधि में उसमें हुये परिवर्तनों से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति का ज्ञान होता है ।

उत्तर प्रदेश के प्रचलित भावों पर निवल आय के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े तालिका 2.2 में दर्शाये गये है:-

तालिका-2.2

उत्तर प्रदेश की निवल आय के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

(प्रचलित भावों पर)

खण्ड	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-प्राथमिक	**37.7**	**37.5**	**37.0**	**36.2**	**35.5**	**34.1**	**33.4**	**31.9**	**31.6**	**31.7**
(1) कृषि एवं पशुपालन	35.5	35.0	35.0	33.7	33.2	31.8	30.8	29.4	29.3	29.5
2-माध्यमिक	**18.7**	**18.0**	**16.8**	**17.2**	**17.3**	**18.6**	**20.4**	**21.3**	**21.5**	**21.2**
(क) विनिर्माण	11.1	10.5	9.8	10.0	9.9	10.1	9.9	10.4	10.4	9.6
(1) पंजीकृत	5.7	4.9	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	5.0	5.0	4.8
(2) गैर पंजीकृत	5.3	5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.4	5.4	4.9
3-तृतीयक	**43.6**	**44.5**	**46.2**	**46.6**	**47.2**	**47.3**	**46.2**	**46.8**	**46.9**	**47.1**
(1)परिवहन,संचार तथा व्यापार	20.6	21.1	21.3	21.2	22.0	22.1	21.9	22.5	22.6	23.0
(2)वित्त एवं स्थावर सम्पदा	9.7	10.3	11.2	11.7	11.5	11.1	10.4	10.2	9.9	9.3
(3) सामुदायिक तथा निजी सेवायें	13.3	13.2	13.6	13.7	13.8	14.0	13.9	14.1	14.4	14.8
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

***अनन्तिम अनुमान** **# त्वरित अनुमान**

तालिकागत आंकड़ों से विदित होती है कि प्राथमिक खण्ड जिसके अन्तर्गत "कृषि एवं पशुपालन," "वन उद्योग एवं लटठे् बनाना," "मछली उद्योग" एवं "खनन् तथा पत्थर निकालना" उपखण्ड सम्मिलित है, का योगदान वर्ष 1999-2000 में प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था में 37.7 प्रतिशत था। परन्तु इस खण्ड में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और यह निरन्तर गिरते हुये वर्ष 2008-09 में 31.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया । इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इस खण्ड में 6.0 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हुई । निवल राज्य आय में ''कृषि एवं

पशुपालन'' उपखण्ड का योगदान वर्ष 1999-2000 में 35.5 प्रतिशत था। 2000-2009 की अवधि में इस उपखण्ड का अंश भी वर्ष 1999-2000 के 35.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2008-09 में 29.5 प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में 6.0 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर हुई ।

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत ''विनिर्माण'', ''निर्माण कार्य एवं विद्युत'', ''गैस तथा जल सम्पूर्ति'' उपखण्ड सम्मिलित हैं। निवल राज्य आय में माध्यमिक खण्ड का योगदान वर्ष 1999-2000 में 18.7 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2001-02 में 16.8 प्रतिशत के निम्नतम् स्तर पर पहुंच गया। इसके उपरान्त इस खण्ड में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई और यह बढ़ते हुये वर्ष 2007-08 में 21.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच कर वर्ष 2008-09 में 21.2 प्रतिशत रह गया । माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण उपखण्ड जिसके अन्तर्गत पंजीकृत व गैर पंजीकृत घटक सम्मिलित है, की निवल राज्य आय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 1999-2000 में इस उपखण्ड का योगदान 11.1 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2001-02 में 9.8 प्रतिशत ही रह गया। इसके उपरान्त इस उपखण्ड में वर्ष 2008-09 तक योगदान की मिश्रित प्रवृत्ति रही । वर्ष 2008-09 में यह घटकर 9.6 प्रतिशत के निम्नतम् स्तर पर पहुंच गया । इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 1.5 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हुई।

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार तथा व्यापार," "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" व "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस खण्ड का योगदान वर्ष 1999-2000 से 2008-09 तक के सभी वर्षो में प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था में सर्वाधिक था। वर्ष 1999-2000 में इस खण्ड का अंश 43.6 प्रतिशत था जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2004-05 में 47.3 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2005-06 में यह घटकर 46.2 प्रतिशत रह गया जो आगे के वर्षो में पुन: बढ़कर वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में क्रमश: 46.8 प्रतिशत, 46.9 एवं 47.1 हो गया। इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत निवल राज्य आय में योगदान की दृष्टि से "परिवहन, संचार तथा व्यापार" उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है । इस उपखण्ड का अंश वर्ष 1999-2000 में 20.6 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 तक इस उपखण्ड में मिश्रित प्रवृत्ति पायी गयी। वर्ष 2005-06 में यह 21.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2007-08 में यह 22.6 प्रतिशत हुआ तथा 2008-09 में यह 23.0 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

वर्ष 1999-2000 में "वित्त एवं स्थावर सम्पदा" उपखण्ड का योगदान 9.7 प्रतिशत रहा। इसके उपरान्त इस उपखण्ड में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई और यह लगातार बढ़ते हुये वर्ष 2002-03 में 11.7 प्रतिशत के उच्चतम् स्तर पर पहुंच गयी । तत्पश्चात् इस उपखण्ड में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई और यह घटते हुये वर्ष 2008-09 में 9.3 प्रतिशत रह गया । इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 0.4 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर हुई। "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड का अंश वर्ष 1999-2000 में 13.3 प्रतिशत था जो गिरकर वर्ष 2000-01 में 13.2 प्रतिशत हो गया । इसके पश्चात् इस उपखण्ड का अंश निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2004-05 में 14.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2008-09 में यह पुन: बढ़कर 14.8 प्रतिशत के उच्चतम् स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में यह वर्ष 1999-2000 के 13.3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2008-09 में 14.8 प्रतिशत हो गया।

राज्य आय में वार्षिक वृद्धि दर

प्रदेशीय अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित प्रमुख खण्डों/प्रमुख उपखण्डों की विभिन्न योजनावधियों में परिलक्षित वार्षिक वृद्धि दर के अध्ययन हेतु राज्य आय में खण्डवार वार्षिक वृद्धि दर सम्बंधी आंकड़े तालिका 2.3 में दर्शाये गये है:-

तालिका-2.3

निवल राज्य आय में खण्डवार वार्षिक वृद्धि दर

खण्ड	वार्षिक योजना 1990-91 से 1991-92 की अवधि में	आठवीं योजना 1992-93 से 1996-97 की अवधि में	नवीं योजना 1997-98 से 2001-02की अवधि में	दसवीं योजना 2002-03 से 2006-07 की अवधि में	ग्यारहवीयोजना 2007-08 से 2008-09 की अवधि में
1	2	3	4	5	6
1- प्राथमिक	**5.4**	**2.5**	**1.6**	**1.8**	**4.7**
(क) कृषि एवं पशुपालन	4.9	2.7	0.8	1.3	4.6
2- माध्यमिक	**1.2**	**3.3**	**(-)0.9**	**10.8**	**8.0**
(ख) विनिर्माण	1.1	4.2	(-)4.3	6.6	4.4
(1) पंजीकृत	(-)0.7	3.8	(-)9.7	6.9	5.1
(2) गैर पंजीकृत	4.1	4.7	4.0	6.3	3.8
3- तृतीयक	**1.6**	**3.9**	**3.8**	**5.2**	**9.5**
(1)परिवहन, संचार तथा व्यापार	4.6	2.6	3.1	5.6	9.1
(2) वित्त एवं स्थावर सम्पदा	0.6	5.5	2.9	4.7	9.8
(3)सामुदायिक तथा निजी सेवायें	(-)2.0	4.4	5.8	4.9	10.1
समस्त खण्ड (राज्य योग)	**3.1**	**3.2**	**2.0**	**5.2**	**7.7**
समस्त खण्ड (भारत)	**2.5**	**6.8**	**5.6**	**7.8**	**7.8**

नोट- टिप्पणी स्तम्भ-4 से दिये गये आंकड़ों में उत्तराखण्ड शामिल नही है।

उक्त तालिका के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में प्राथमिक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.9 प्रतिशत गिरकर 2.5 प्रतिशत हो गयी । वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में 0.9 प्रतिशत गिरकर 1.6 प्रतिशत रह गयी । तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: बढ़ते हुये 1.8 प्रतिशत हो गयी । ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 2.9 प्रतिशत बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गयी । इस खण्ड के अन्तर्गत ''कृषि एवं पशुपालन'' उपखण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 4.9 प्रतिशत रही जो लगातार घटते हुये वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में 0.8 प्रतिशत ही रह गयी।

तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में यह 0.5 प्रतिशत बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गयी । ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 3.3 प्रतिशत बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गयी ।

माध्यमिक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 1.2 प्रतिशत थी । जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गयी । तत्पश्चात् वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर घटकर (-)0.9 प्रतिशत ही रह गयी । इसके उपरान्त वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में यह वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गयी । ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 2.8 प्रतिशत घटकर 8.0 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार विनिर्माण उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर उक्त अवधियों में क्रमश: 1.1 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, (-)4.3 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत व 4.4 प्रतिशत रही। विनिर्माण उपखण्ड में सम्मिलित पंजीकृत एवं गैरपंजीकृत घटकों की वार्षिक वृद्धि दर उक्त अवधियों में क्रमश: (-)0.7 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, (-)9.7 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत व 5.1 प्रतिशत एवं 4.1 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 4.0 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत व 3.8 प्रतिशत रही ।

तृतीयक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 1.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.3 प्रतिशत बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गयी । इसके उपरान्त वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत घटकर 3.8 प्रतिशत ही रह गयी ।

तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गयी । ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 4.3 प्रतिशत बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गयी । उक्त खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार तथा व्यापार" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर सन्दर्भित अवधियों में क्रमश: 4.6 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत व 9.1 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार "वित्त एवं स्थावर सम्पदा" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दरें उक्त अवधियों में क्रमश: 0.6 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 2.9 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत व 9.8 प्रतिशत रही । "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर भी उक्त अवधियों में क्रमश: (-)2.0 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत व 10.1 प्रतिशत रही।

तालिका 2.3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण प्रदेशीय अर्थ-व्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 3.1 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत (2.5 प्रतिशत) से अधिक थी, परन्तु तदोपरान्त प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में कम रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997), नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) की अवधियों में प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में क्रमश: 3.2 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत व 5.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही जो उक्त अवधियों की अखिल भारतीय औसत वार्षिक वृद्धि दर (6.8 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत एवं 7.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-20012) की वर्ष 2007-2008 से 2008-2009 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत के समीप रही ।

तालिका 2.4 में प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय से सम्बंधित आंकड़े दर्शाये गये है:-

तालिका–2.4

प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय (रु0)			स्थायी (1999–2000)भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय (रु0)		
	उ0प्र0	भारत	अन्तर (3–2)	उ0प्र0	भारत	अन्तर (6–5)
1	2	3	4	5	6	7
1999–00	9749	15881	6132	9749	15881	6132
2000–01	9828	16688	6860	9721	16173	6452
2001–02	9995	17782	7787	9672	16769	7097
2002–03	10648	18885	8237	9806	17109	7303
2003–04	11458	20871	9413	10120	18301	8181
2004–05	12196	23198	11002	10421	19331	8910
2005–06	13302	26003	12701	10766	20868	10102
2006–07	14651	29524	14873	11311	22580	11269
2007–08*	16436	33283	16847	11981	24295	12314
2008–09#	18710	37490	18780	12637	25494	12857

*अनन्तिम अनुमान # त्वरित अनुमान

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय में लगातार वृद्धि का रुख रहा । वर्ष 1999–2000 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 9749 रुपये थी जो 0.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2000–01 में 9828 रुपये हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 में निरन्तर बढ़ती हुयी गत वर्ष की तुलना में यह कमश: 1.7 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत, 6.4 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत, 10.1 प्रतिशत, 12.2 प्रतिशत तथा 13.8 प्रतिशत बढ़कर कमश: रु09995, 10648, 11458, 12196, 13302 व 14651 व 16436 व 18710 हो गयी। इस प्रकार 2000–2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 91.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर यद्यपि प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हुई तथापि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर लगातार बढ़ता रहा। प्रचलित भावों पर वर्ष 1999-2000 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर 6132 रु0 था जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2008-09 में 18780 रुपये हो गया । इस प्रकार इसमें 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में अन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति में 206.3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

स्थायी भावों पर वर्ष 1999-2000 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 9749 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2008-09 में 12637 रुपये हो गयी। इस प्रकार 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में प्रति व्यक्ति राज्य आय में 29.6 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर लगातार बढ़ता रहा। स्थायी भावों पर वर्ष 1999-2000 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और राज्य आय का अन्तर 6132 रुपये था, जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2008-09 में 12857 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2005-06 की अवधि में यह अन्तर सर्वाधिक रहा। इस प्रकार इसमें 2000-2009 की सम्पूर्ण अवधि में अन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति में 109.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

<u>प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय</u>

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में यद्यपि निरन्तर वृद्धि हो रही है तथापि प्रदेश की वृहद जनसंख्या के कारण अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है । तालिका 2.5 में प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दर्शाये गये है--

तालिका–2.5

प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय

कमांक	राज्य	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय (रु0)				स्थायी (1999–2000)भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय	
		1999–00	प्रदेश की आय से अन्तर	2007–08	प्रदेश की आय से अन्तर	2007–08	प्रदेश की आय से अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	15427	5678	35864	19428	26195	14214
2.	असम	12282	2533	21464	5028	15857	3876
3.	बिहार	5786	(–)3963	11135	(–)5301	8703	(–)3278
4.	गुजरात	18864	9115	45773	29337	31780	19799
5.	हरियाणा	23229	13480	58531	42095	39796	27815
6.	हिमांचल प्रदेश	20806	11057	40134	23698	30586	18605
7.	कर्नाटक	17502	7753	36266	19830	26418	14437
8.	केरल	19461	9712	41814	25378	32961	20980
9.	मध्य प्रदेश	12384	2635	18051	1615	13299	1318
10.	महाराष्ट्र	23011	13262	47051	30615	33302	21321
11.	उड़ीसा	10567	818	23403	6967	16149	4168
12.	पंजाब	25631	15882	44923	28487	31439	19458
13.	राजस्थान	13619	3870	23933	7497	18095	6114
14.	तमिलनाडु	19432	9683	40757	24321	29445	17464
15.	उत्तर प्रदेश	9749	0	16436	0	11981	0
16.	पं.बंगाल	15888	6139	31722	15286	23229	11248
	भारत	**15881**	6132	**33283**	16847	**24295**	12314

तालिका से स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 1999–2000 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल आय वाले राज्य क्रमश: पंजाब 25631 रुपये, हरियाणा 23229 रुपये, महाराष्ट्र 23011 रुपये एवं हिमांचल प्रदेश 20806 रुपये है । उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम मात्र 9749 रुपये ही है । वर्ष 2007–08 में जहां सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की 58531 रुपये, महाराष्ट्र 47051 रुपये, गुजरात 45773 रुपये एवं पंजाब 44923 रुपये रही वही उत्तर प्रदेश की आय 16436 रुपये रही ।

स्थायी भावों पर वर्ष 2007-08 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल आय वाले राज्य क्रमशः हरियाणा 39796 रुपये, महाराष्ट्र 33302 रुपये, केरल 32961 रुपये एवं गुजरात 31780 रुपये है । प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 11981 रुपये रही ।

भाव प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (1970-71=100) वर्ष 2008-09 में 1608.9 था जो 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 में 1915.5 हो गया। तालिका 2.6 में मुख्य वर्गों के ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक के आंकड़े दर्शाये गये हैं :-

तालिका-2.6

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (1970-71=100)

वर्ग	2008-09	2009-10	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1.(क)खाद्य पदार्थ	1568.7	1910.1	21.8
(ख) पेय व तम्बाकू	1456.0	1648.8	13.2
2. ईधन व प्रकाश	2297.3	2608.3	13.5
3. कपड़ा व जूता	1379.3	1481.1	7.4
4. आवास	2384.3	2887.3	21.1
5. विविध	1446.0	1553.0	7.4
सामान्य सूचकांक	**1608.9**	**1915.5**	**19.1**

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (1970-71=100) वर्ष 2008-09 में 1784.6 था, जो 15.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 में 2051.9 हो गया । उत्तर प्रदेश में नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक की विभिन्न प्रमुख वर्गानुसार समग्र स्थिति निम्नवत् है :-

तालिका–2.7

उत्तर प्रदेश के नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (1970–71=100)

वर्ग	2008–09	2009–10	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1.(क)खाद्य पदार्थ	1537 .2	1842 .7	19 .9
(ख) पेय व तम्बाकू	1838 .6	2114 .5	15 .0
2. ईधन व प्रकाश	3542 .3	3472 .7	–2 .0
3. कपड़ा व जूता	1686 .5	1903 .9	12 .9
4. आवास	2721.8	2895.7	6.4
5. विविध	1950 .0	2236 .9	14 .7
सामान्य सूचकांक	**1784.6**	**2051.9**	**15.0**

तालिका 2.8 में कतिपय मदों के थोक भाव सूचकांक दर्शाये गये है:-

तालिका–2.8

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (1970–71=100)

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2009–10 में प्रतिशत वृद्धि
		2008–09	2009–10	
1	2	3	4	5
1.	**प्राथमिक वस्तुएं**	**1733.0**	**1951.5**	**12.6**
	(क) खाद्य पदार्थ	1704.7	2065.1	21.1
	(1)खाद्यान्न	1171.6	2080.3	77.6
	(ख) अखाद्य पदार्थ	1649.3	1690.0	2.5
	(ग) खनिज पदार्थ	40174.7	47385.4	18.0
2.	**ईधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक**	**4167.0**	**4203.1**	**0.9**
3.	**विनिर्मित उत्पाद**	**1585.3**	**1818.2**	**14.7**
	(क) चीनी खाण्डसारी एवं गुड़	1704.9	2814.9	65.1
	(ख) खाद्य तेल	1236.6	1076.0	(–)13.0
	(ग) सूती वस्त्र	1524.4	1632.1	7.1
	समस्त वर्ग	**1837.7**	**2050.0**	**11.6**

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008–09 में प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (1970–71=100) 1837.7 था जो 11.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 में 2050.0 हो गया ।

****

अध्याय–3

कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थ व्यवस्था मुख्यत: कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय पर आधारित है। राज्य की वर्ष 2008 09 में कुल आय 359836 करोड़ रू0 में कृषि एवं सम्वर्गीय किया कलापों का अंश 30.9 प्रतिशत था, जिसमें से कृषि एवं पशुपालन खण्ड का प्रतिशत अंश 29.5 है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकर 539.84 लाख थे, जिसमें 221.68 लाख कृषक एवं 134.01 लाख कृषि श्रमिक थे । कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 65.9 था । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि खण्ड के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के नियोजित विकास में कृषि के बहुमुखी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं सम्वर्गीय कार्यक्रमों, भूमि एवं जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी विकास, खाद्यान्न भण्डारण, कृषि अनुसन्धान, भूमि सुधार, आदि कृषि कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में 2209.39 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में इन मदों पर 2743.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में उपरोक्त मदों पर 5142.40 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था । जिसमें से उक्त मदों पर वर्ष 2002–03 में 824.93 करोड़ रुपये, वर्ष 2003–04 में 723.43 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 में 627.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 924.50 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 1151.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में उपरोक्त मदों पर 19146.37 करोड़ रूपये व्यय करने का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2007–08 में उक्त मदों पर 1956.36 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008–09 में 2425.41 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 41.1 प्रतिशत कृषक, राष्ट्रीय औसत (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) 31.7 प्रतिशत से अधिक रहा । वर्ष 1991 एवं 2001 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–3.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.1

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	206.87	221.68	53.2	41.1
2– कृषि श्रमिक	''	76.09	134.01	19.6	24.8
3– पारिवारिक उद्योग	''	9.73	30.31	2.5	5.6
4– अन्य	''	96.12	153.84	24.7	28.5
योग		**388.81**	**539.84**	**100.0**	**100.0**

प्रदेश में कृषकों की बहुलता के कारण कृषि कार्यो हेतु प्रति कृषक उपलब्ध भूमि राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम रही । कृषि गणना 2000–01, भारत सरकार के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 76.87 रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 63.00 प्रतिशत रहा तथा प्रति जोत 0.83 हेक्टेयर क्षेत्र, राष्ट्रीय औसत 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र का 62.9 प्रतिशत रहा । उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995–96 एवं 2000–01 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–3.2 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.2

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	1995–96*		2000–01+	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0से कम	16237	6267	16658.9	6647.7
	(75.4)	(33.7)	(76.9)	(37.0)
1.0–2.0	3135	4428	3087.1	4365.8
	(14.6)	(23.8)	(14.2)	(24.3)
2.0–4.0	1586	4321	1427.1	3905.6
	(7.4)	(23.3)	(6.6)	(21.7)
4.0–10.0	532	2948	463.0	2579.9
	(2.5)	(15.9)	(2.1)	(14.3)
10.0 और	39	606	32.1	484.3
अधिक	(0.1)	(3.3)	(0.2)	(2.7)
योग	**21529**	**18570**	**21668.2**	**17983.3**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

स्त्रोत: *कृषि गणना, भारत सरकार। + राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोट: कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित है ।

प्रदेश में प्रति कृषक अल्प कृषि क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण यहां के कृषक खाद्यान्न सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलें उगाते है। परिणामत: उनके पास नगदी एवं अधिक लाभदायी फसलें उगाने के लिये भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। वर्ष 2009-10 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, सकल बोये गये क्षेत्र का 73.17 प्रतिशत रहा जो यह स्पष्ट करता है कि नगदी एवं अधिक लाभदायी फसलों के अन्तर्गत केवल 26.83 प्रतिशत भूमि ही उपलब्ध रही । उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तालिका-3.3 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.3

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(हजार हेक्टेयर में)

फसलें	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5	6
1 धान	6071	5948	5778	5992	5173
2 गेहूँ	9256	9374	9399	9669	9668
3 जौ	254	209	189	184	171
4 ज्वार	323	244	246	203	191
5 बाजरा	851	878	935	866	849
6 मक्का	931	869	843	809	709
7 अन्य अनाज	29	16	12	11	7
कुल अनाज	**17715**	**17538**	**17402**	**17734**	**16768**
8 उर्द	423	522	561	446	553
9 मूंग	72	71	74	61	72
10 अरहर	394	407	370	326	305
11 चना	841	693	555	629	618
12 अन्य दालें	953	1124	710	858	905
कुल दालें	**2683**	**2817**	**2270**	**2320**	**2452**
कुल खाद्यान्न	**20398**	**20355**	**19672**	**20054**	**19220**
13 लाहीएवं सरसों(शुद्ध)	566	619	542	622	613
14 मूंगफली	107	95	99	88	92
15 अन्य तिलहन	161	188	368	232	379
कुल तिलहन (शुद्ध)	**834**	**902**	**1009**	**942**	**1084**
16 गन्ना	2035	2002	2250	2116	1977
17 आलू	389	435	518	518	541
18 तम्बाकू	20	24	22	24	23
19 रुई	5	6	4	4	5
20 सनई (रेशा)	5	3	3	2	2
21 **अन्य फसलें**	1761	1797	1842	1811	3417
कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25447**	**25524**	**25320**	**25471**	**26269**

* अनन्तिम

भूमि कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है साथ ही साथ भूमि एक सीमित संसाधन भी है। प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कृषि हेतु उपलब्ध भूमि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने हेतु ऊसर भूमि को उपचारित कर कृषि बेकार भूमि, परती भूमि, स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि को यथासम्भव कृषि योग्य बनाकर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 168.12 लाख हेक्टेयर था जो घटकर वर्ष 2008-09 में 165.62 लाख हेक्टेयर हो गया । इस प्रकार 2002-2009 की अवधि में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 1.5 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका- 3.4 में दर्शाये गये है:-

तालिका-3.4

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24202	24201	24170	24170
2. वन	1689*	1688	1658	1662
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	595	530	507	499
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2514	2648	2761	2779
5. कृष्य बेकार भूमि	518	454	440	437
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	71	64	65	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	355	343	374	365
8. वर्तमान परती	1026	1217	1408	1263
9. अन्य परती	624	574	540	539
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16812**	**16683**	**16417**	**16562**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	8635	8841	8903	8909
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25447**	**25524**	**25320**	**25471**

* सूचना वर्ष 2000-01 से सम्बंधित है ।

कृषि उद्यम में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। अत: प्रदेश में सिंचन सुविधाओं में अभिवृद्धि के प्रयास जारी है। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-08 में सकल सिंचित क्षेत्रफल 191.42 लाख हेक्टेयर था जो 2.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008-09 में 196.12 लाख हेक्टेयर हो गया । इसी प्रकार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2007-08

में 130.85 लाख हेक्टेयर था जो 2.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008-09 में 134.35 लाख हेक्टेयर हो गयी। वर्ष 2007-08 में सिंचाई सघनता 146.3 प्रतिशत थी जो घटकर वर्ष 2008-09 में 146.0 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में सिंचाई आच्छादन 68.36 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2008-09 में 68.5 प्रतिशत ही रह गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2007-08 एवं 2008-09 में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण तालिका-3.5 में दर्शाया गया है-

तालिका-3.5

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2007-08 की अपेक्षा 2008-09 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
(क)शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	**(ह0 हेक्टे0)**	2719	2692	2358	2667	13.1
1- नहर	''	(21.2)	(20.5)	(18.0)	(19.9)	
2- नलकूप	''	9158	9379	9577	9603	0.3
		(71.4)	(71.5)	(73.2)	(71.5)	
(अ) राजकीय	''	449	383	394	370	(-)6.1
		(3.5)	(2.9)	(3.0)	(2.8)	
(ब) निजी	''	8709	8996	9183	9233	0.5
		(67.9)	(68.6)	(70.2)	(68.7)	
3- कुएं	''	746	765	1004	996	(-)0.8
		(5.8)	(5.8)	(7.7)	(7.4)	
4-तालाब, झील तथा पोखर	''	84	145	105	125	19.0
		(0.7)	(1.1)	(0.8)	(0.9)	
5- अन्य	''	121	138	41	44	7.3
		(0.9)	(1.1)	(0.3)	(0.3)	
योग		**12828**	**13119**	**13085**	**13435**	**2.7**
		(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
(ख)सकल सिंचित क्षेत्रफल(ह0 हेक्टे0)		**18220**	**18939**	**19142**	**19612**	**2.5**

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में निजी लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों की प्रगति तालिका-3.6 में दर्शायी गयी है:-

तालिका-3.6

उत्तर प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों की प्रगति

(31 मार्च की स्थिति)

मद	इकाई	2002	2005	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1- पक्के कुएं	हजार	125	125	127	127	127
2- भू-स्तरीय पम्पसेट	''	10	19	25	26	27
3- बोरिंग पर लगे पम्प सेट	''	3491	3675	3963	4013	4038
4- विद्युत नलकूप	''	452	462	478	483	485
5- डीजल नलकूप	''	3039	3213	3383	3429	3451
6- गहरे नलकूप	संख्या	8061	11420	17768	19716	21380
7- आर्टीजन कूप (व्यक्तिगत)	''	578	638	741	841	846

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 32.60 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 42.62 लाख मी0 टन हो गया । इस प्रकार 2002-2010 की सम्पूर्ण अवधि में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 30.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका-3.7 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.7

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश(के0)	योग
1	2	3	4	5
2001-02	2465	708	87	3260
2004-05	2390	739	181	3310
2005-06	2439	824	201	3464
2006-07	2714	853	168	3735
2007-08	2754	822	182	3758
2008-09	2823	900	250	3973
2009-10*	2899	1039	324	4262

*अनन्तिम

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 1839 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर 3615 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002-2009 की सम्पूर्ण अवधि में उन्नतिशील बीजों के उत्पादन में 96.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों का उत्पादन तालिका-3.8 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.8

उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों का उत्पादन

(हजार कुन्तल में)

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1- अनाज	1752	2203	3249	3290
2- दालें	71	172	241	276
3- तिलहन	15	31	46	48
4- कपास	1	1	1	1
योग	**1839**	**2407**	**3537**	**3615**

उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 1819 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का वितरण हुआ था जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर 4140 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002-2009 की अवधि में उन्नतिशील बीजों के वितरण में 127.6 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों का वितरण तालिका-3.9 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.9

उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों का वितरण

(हजार कुन्तल में)

मद	2001-02	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1- अनाज	1733	2178	2834	3163	3798
2- दालें	70	172	218	239	296
3- तिलहन	15	31	35	44	46
4- कपास	1	0	2	1	1
योग	**1819**	**2381**	**3089**	**3447**	**4140**

प्रदेश में मुख्य-मुख्य फसलों के औसत उपज में वृद्धि लाने हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 2001-02 में 156.61 लाख हेक्टेयर, वर्ष 2006-07 में 162.28 लाख हेक्टेयर, वर्ष 2007-08 में 159.64 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 2008-09 में 162.70 लाख हेक्टेयर रहा । उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तालिका-3.10 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.10

उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(लाख हेक्टेयर में)

मद	2001-02	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1- चावल	54.65	48.07	57.34	53.59	57.25
2- गेहूं	89.45	88.20	92.02	92.96	93.64
3- बाजरा	5.53	5.18	6.13	6.35	5.42
4- मक्का	6.98	5.97	6.79	6.74	6.39
योग	**156.61**	**147.42**	**162.28**	**159.64**	**162.70**

प्रदेश में वर्ष 2001-02 में कुल खाद्यान्न की औसत उपज 21.64 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी । वर्ष 2004-05 में कुल खाद्यान्न की औसत उपज घटकर 19.65 कुन्तल प्रति हेक्टेयर ही रह गयी। इसके उपरान्त इसमें वृद्धि हुई और यह बढ़कर वर्ष 2007-08 में 21.88 कुन्तल प्रति हेक्टेयर एवं वर्ष 2008-09 में 23.63 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी। वर्ष 2009-10 में यह पुन: घटकर 22.42 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत मुख्य फसलों की औसत उपज तालिका-3.11 में दर्शाया गया है:-

तालिका–3.11

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों की औसत उपज

(कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

फसलें	2001–02	2004–05	2007–08	2008–09	2009–10*
1	2	3	4	5	6
1– चावल	21.17	18.11	20.57	21.77	20.83
2– गेहूँ	27.55	25.00	27.99	29.97	28.46
3– जौ	23.33	19.75	19.40	22.58	21.14
4– ज्वार	9.58	10.23	7.86	10.38	8.88
5– बाजरा	11.38	15.20	15.10	16.13	16.36
6– मक्का	16.28	15.54	14.60	15.38	14.66
कुल अनाज	**23.57**	**21.42**	**23.79**	**25.54**	**24.61**
7– उर्द	4.20	3.87	4.43	5.58	4.04
8– मूँग	4.15	4.65	4.17	5.55	4.40
9– अरहर	11.57	9.62	8.79	9.15	6.62
10–चना	9.72	9.16	7.32	10.14	8.23
कुल दालें	**8.86**	**8.63**	**7.17**	**8.87**	**7.51**
कुल खाद्यान्न	**21.64**	**19.65**	**21.88**	**23.63**	**22.42**
11–लाहीएवं सरसों(शुद्ध)	10.13	9.92	11.58	11.27	11.13
12–मूँगफली	8.39	8.23	5.80	7.35	6.74
कुल तिलहन (शुद्ध)	**8.69**	**8.45**	**7.54**	**8.87**	**7.53**
13–गन्ना	579.80	608.07	572.23	524.67	592.42
14–आलू	246.62	223.83	222.19	205.46	248.66
15–तम्बाकू	67.31	54.46	55.60	58.24	56.82
16–रूई	1.72	1.68	2.68	2.19	1.69
17–सनई(रेशा)	4.20	2.77	1.90	3.60	1.84

*अनन्तिम

विभिन्न प्रकार की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये कीटनाशक औषधियों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है । ये बीमारियां फसलों की उपज को प्रभावित करती है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में 7 हजार मी0 टन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, जो वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में बढ़कर क्रमश: 10.0 एवं 10.13 हजार मी0 टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 2001–02 में 271.82 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वर्ष 2004–05 में 296.16 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वर्ष 2006–07 में 302.63 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वर्ष 2007–08 में 256.47 लाख हेक्टेयर कृषि

क्षेत्र एवं 2008-09 में 259.80 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों का प्रयोग एवं आच्छादित कृषि क्षेत्र को तालिका-3.12 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.12

उत्तर प्रदेश में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग एवं आच्छादित कृषि क्षेत्र

वर्ष	कीटनाशक औषधियों की मात्रा (हजार मी0 टन में)	आच्छादित कृषि क्षेत्र (लाख हेक्टे0 में)
1	2	3
2001-02	7	271..82
2004-05	7	296 .16
2006-07	11.8	302.63
2007-08	10.0	256.47 *
2008-09	10.13	259.80 *

* अनुमानित

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु किये गये विविध प्रयासों के उपरान्त भी प्रतिकूल मौसम से कृषि उत्पादन दुष्प्रभावित होता है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत 44135 हजार मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था । वर्ष 2004-05 में खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 39997 हजार मी0 टन ही रह गया । इसके उपरान्त इसमें पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर हुई और यह वर्ष 2007-08 में 43032 हजार मी0 टन एवं वर्ष 2008-09 में 47382 हजार मी0 टन हो गया । वर्ष 2009-10 में यह पुनः घटकर 43099 हजार मी0 टन हो गया ।

उत्तर प्रदेश मे विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत मुख्य फसलों के उत्पादन का फसलवार विवरण तालिका-3.13 में दर्शाया गया है:-

तालिका–3.13

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों का उत्पादन

(हजार मी0 टन में)

फसलें	2001–02	2004–05	2007–08	2008–09	2009–10*
1	2	3	4	5	6
1–चावल	12856	10783	11884	13047	10777
2–गेहूँ	25498	23430	26312	28977	27518
3–जौ	592	413	366	414	362
4–ज्वार	309	249	193	211	170
5–बाजरा	968	1335	1411	1397	1389
6–मक्का	1517	1350	1231	1244	1039
7–अन्य अनाज	19	6	8	7	3
कुल अनाज	**41759**	**37566**	**41405**	**45297**	**41258**
8–उर्द	178	202	249	249	223
9–मूँग	30	33	31	34	32
10–अरहर	456	392	325	298	202
11–चना	817	635	406	638	509
12–अन्य दालें	895	1169	616	866	876
कुल दालें	**2376**	**2431**	**1627**	**2085**	**1842**
कुल खाद्यान्न	**44135**	**39997**	**43032**	**47382**	**43099**
13–लाही एवं सरसों (शुद्ध)	574	614	627	701	682
14–मूँगफली	90	78	57	64	61
15–अन्य तिलहन	61	71	78	71	72
कुल तिलहन (शुद्ध)	**725**	**763**	**762**	**836**	**816**
16–गन्ना	117982	121756	128736	111034	117140
17–आलू	9583	9740	11513	10635	13447
18–तम्बाकू	137	129	123	138	133
19–रूई	1	1	3	1	1
20–सनई(रेशा)	2	1	1	1	3

*अनन्तिम

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14496
Date: 24-7-2013
Documentation Centre

पशुधन-

प्रदेश में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के उन्नयन में पशुपालन की प्रमुख भूमिका है। यह सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रोजगार एवं आय का प्रमुख स्त्रोत है। प्रदेश की विशाल पशु सम्पदा के संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं उत्पादन में पशुपालन विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 की पशुगणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 632.60 लाख थी । इसमें गायों की संख्या 64.99 लाख तथा भैसों की संख्या 127.20 लाख थी, जो कुल पशुधन का कमशः 10.3 प्रतिशत व 20.1 प्रतिशत थी । इसमें दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या कमशः 45.11 लाख एवं 90.89 लाख थी। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या कमशः 69.4 प्रतिशत तथा 71.5 प्रतिशत थी। वर्ष 1997, 2003 एवं 2007 की पशुगणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका-3.14 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.14
उत्तर प्रदेश में पशुधन

(हजार में)

मद	1997	2003	2007*
1	2	3	4
1- **कुल गोजातीय**	**20016**	**18551**	**18959**
(क) गाय +	**5950**	**6188**	**6499**
(1) दूध दे रही	3211	3829	4511
(2) दूध न दे रही	2059	1714	1388
2- **कुल महिष जातीय**	**18996**	**22914**	**26119**
(ख) भैंस +	**9240**	**11195**	**12720**
(1) दूध दे रही	5532	7952	9089
(2) दूध न दे रही	2898	2426	2538
3- भेड़	1905	1437	1371
4- बकरे व बकरियां	11784	12941	14593
5- सुअर	3135	2284	1973
6- अन्य पशुधन	576	404	242
कुल पशुधन	**56414**	**58531**	**63260**
कुल कुक्कुट	**12116**	**11718**	**10579**

+ इसमें दुधारु, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मदायें सम्मिलित है।

*अनन्तिम

प्रदेश में पशु सम्पदा में वृद्धि हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रसार, नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का प्रसार, पशु रोगों की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक टीकों की व्यवस्था इत्यादि के प्रयास किये जा रहे है ।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में पशुचिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़ें तालिका- 3.15 में दर्शाये गये है:-

तालिका-3.15
उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1-पशु चिकित्सालय (संख्या)	1758	1758	2008	2200	2200
2-पशुधन विकास केन्द्र (संख्या)	2557	2557	2810	2827	2843
3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (संख्या)	3079	3079	3079	3079	5043
4-अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (संख्या)	4	4	3	3	3
5-चिकित्सित पशु (हजार)	17836	19016	21155	21986	23446
6-पशु में किये गये कृत्रिम गर्भाधान (हजार)	1736	2194	2617	3013	3710
(क) गाय	1198	1501	1797	2034	2418
(ख) भैंस	538	693	820	979	1292
7-लगाये गये सुरक्षात्मक टीके (हजार)	28372	47304	48826	38641	47294

विशाल पशुधन संख्या के साथ उत्तर प्रदेश, देश में पशुधन एवं पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। पशुधन उत्पाद ही गरीब ग्रामवासियों को खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में प्रतिदिन प्रति दुधारु गाय का दुग्ध उत्पादन 3.150 लीटर तथा प्रतिदिन प्रति दुधारू भैंस का दुग्ध उत्पादन 4.392 लीटर था । इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में प्रतिवर्ष प्रति पक्षी का अण्डा उत्पादन 188.8 (संख्या) तथा प्रतिवर्ष प्रति भेंड़ का ऊन उत्पादन 890 ग्राम था। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में पशुधन उत्पाद का औसत उत्पादन तालिका-3.16 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.16

उत्तर प्रदेश में पशुधन उत्पाद का औसत उत्पादन

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1- दुग्ध उत्पादन (प्रतिदिन प्रति दुधारू पशु) (लीटर)					
(क) गाय	2.900	3.095	3.111	3.132	3.150
(ख) भैंस	4.148	4.314	4.353	4.373	4.392
2- अण्डा (प्रतिपक्षी प्रतिवर्ष) (संख्या)	173	177.2	187.0	188.0	188.8
3- ऊन (प्रतिभेड़ प्रतिवर्ष) (ग्राम)	859	875	884	887	890
4- मांस (प्रतिपशु) (कि0ग्रा0)					
(क) महिष	119.655	121.731	120.932	122.084	121.699
(ख) भेड़	16.450	16.505	16.743	16.710	16.687
(ग) बकरी	15.877	16.063	16.098	16.117	16.052
(घ) सुअर	44.661	44.572	43.692	43.554	43.407

मत्स्य उद्योग-

मत्स्य पालन कार्यक्रम भारत के प्राचीनतम कार्यक्रमों में से एक है। प्रदेश के लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिये मत्स्य पालन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस व्यवसाय में ग्रामीण बेरोजगार जनता को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 3929 हजार कुन्तल मत्स्य उत्पादन हुआ था। वर्ष 2009-10 में मत्स्य विभाग द्वारा 238.44 लाख, मत्स्य विकास निगम द्वारा 271.55 लाख एवं मत्स्य सहकारी संघ द्वारा 25.48 लाख मत्स्य बीजों (अंगुलिकाओं) का संचय किया गया। वर्ष 2009-10 में समस्त स्त्रोतों से 11474.7 लाख मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन हुआ। मत्स्य विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में 9583.63 लाख मत्स्य बीजों का वितरण निजी क्षेत्र में किया गया। उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमों पर 5000 लाख रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया है जिसके समक्ष वर्ष 2002-03 में 532.50 लाख रुपये, वर्ष 2003-04 में 451.09 लाख रुपये, वर्ष 2004-05 में 455.41 लाख रुपये, वर्ष 2005-06 में

665.72 लाख रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 780.21 लाख रुपये व्यय किये गये। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में उक्त मद पर 158.73 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया, जिसके सापेक्ष वर्ष 2007-08 में 3.35 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2008-09 में 83.49 करोड़ रूपये व्यय किये गये । उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में मत्स्य एवं मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन तथा वितरण तालिका-3.17 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.17

उत्तर प्रदेश में मत्स्य एवं मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन तथा वितरण

मद	2001-02	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1- मत्स्य उत्पादन (हजार कुन्तल)	2254	3338	3493	3929
2- जलाशयों में मत्स्य बीज (अंगुलिकाओं) का संचय (लाख)				
(क) मत्स्य विभाग	196.92	236.34	216.32	238.44
(ख) मत्स्य विकास निगम	323.20	323.90	257.00	271.55
(ग)मत्स्य सहकारी संघ	-	47.20	47.20	25.48
3- समस्त स्त्रोतों से मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन (लाख)	9553.52	11829.98	13041.73	11474.7
4- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज (अंगुलिकाओं) का वितरण (लाख)				
(क) मत्स्य विभाग	9069.10	11222.54	12521.21	9583.63
(ख) मत्स्य विकास निगम	865.18*	2666.55	2656.14*	1891.12

*संशोधित

वन उद्योग-

वन हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं प्रगति का प्रतीक है। वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जलसंरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.62 लाख हेक्टेयर था । वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 200 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 11 चट्टा हजार घन मी0 जलाने की लकड़ी, 41 हजार कौड़ी बांस, 206 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 1 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में शाल, सागौन, शीशम, खैर, असना आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौणवनोपज का विवरण तालिका-3.18 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.18

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2001-02	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10#
1	2	3	4	5	6	7
1- **इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	171	143	165	232	216	200
(क) शाल	32	27	23	30	35	36
(ख) सागौन	8	6	5	2	5	5
(ग) शीशम	34	30	31	34	27	24
(घ) खैर	3	3	3	5	5	4
(च) असना	1	2	1	1	0	1
(छ) यूकेलिप्टस	61	48	69	128	114	103
(ज) विविध	32	27	33	32	30	27
2-**जलाने की लकड़ी (चट्टा हजार घन मी0)**	26	18	15	20	11	11
3-**बांस (हजार कौड़ी)**	168	25	100	80	51	41
4- **तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	458	482	289	271	217	206
5-**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	0.57	14	4.54	1.8	1	1

#अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शीशम, खैर तथा यूकेलिप्टस का उत्पादन वर्ष 2009-10 में गत वर्ष 2008-09 की अपेक्षा घटा है । सागौन के उत्पादन में कोई परिवर्तन नही हुआ है। वर्ष 2009-10 में गतवर्ष 2008-09 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन घटा है जबकि भाभड़ घास के उत्पादन में कोई परिवर्तन नही हुआ है ।

****

अध्याय–4

उद्योग, खनिज एवं विद्युत

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक विकास भी प्रगति का द्योतक है । प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थाये कार्यरत् है जिनमें से पिकप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थाये भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े क्षेत्र हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (जीडा) एवं सतहिरिया इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (सीडा) नामक संस्थाये स्थापित की गयी हैं। उक्त के साथ ही पूर्वांचल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि की भी स्थापना की गयी है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा) की स्थापना की गयी हैं। नोयडा एवं जीडा के माध्यम से भूखण्डों को विकसित कर उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध करा कर उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों को ग्रामोन्मुख करने के उद्देश्य से विकास खण्ड को औद्योगिकीकरण के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर समुचित अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की गयी हैं। इन प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास की सम्भावनायें प्रबल हुई है।

उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड सहित) में छठी पंच वर्षीय योजना काल (1980-85) में राज्य आय के अन्त विनिर्माण खण्ड में वृद्धि दर 11.8 प्रतिशत थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में घटकर 4.2 प्रति ही रह गयी। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में यह पुनः घटकर (-)4.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच ग दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में यह वृद्धि दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गयी । इससे संबंधित अ तालिका 4.1 में दिये जा रहे हैं-

तालिका-4.1

उत्तर प्रदेश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि

योजना	अवधि	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	2.3
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61	1.7
3. तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66	5.7
4. तीन वार्षिक योजनायें	1966-69	1.2
5. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	3.4
6. पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974-79	9.4
7. छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	11.8
8. सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	10.9
9. दो वार्षिक योजनायें	1990-92	1.1
10. आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	4.2
11. नवीं पंचवर्षीय योजना	1997-2002	(-)4.3
12. दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002-2007	6.6
13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007-2009	4.4

नोटः- नवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बंधित आंकड़े उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपू जाती हैं। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को तालिका 4.2 में इन मदों से सम्बंधित आंकड़े दिये जा रहे हैः-

तालिका-4.2

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)	सीमेन्ट (हजार टन)	वनस्पति तेल (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी.टन)
1	2	3	4	5	6
1990-91	3050	785	148	1048	127
1993-94	2881	954	210	415	112
1994-95	3730	663	206	342	103
1995-96	3693	584	232	253	101
1996-97	4225	425	225	257	112
1997-98	3922	830	220	398	118
1998-99	3729	493	238	399	95
1999-00	4556	656	अप्राप्त	368	76
2000-01	4394	1602	393	287	51
2001-02	5260	1827	434	319	85
2002-03	5651	2427	अप्राप्त	324	84
2003-04	4551	3458	360	315	80
2004-05	5037	4228	301	263	83
2005-06	5784	4881	283	268	51
2006-07	8475	5141	अप्राप्त	252	51
2007-08	7320	5298	261	122	46
2008-09	4064	6033	302	43	38
2009-10	5179	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

नोट:- वर्ष 2001-02 से उत्तराखण्ड छोड़कर आंकड़ें दर्शाये गये हैं।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि वर्ष 1990-91 में चीनी का उत्पादन 3050 हजार मी. टन था जो बढ़कर वर्ष 2000-01 में 4394 हजार मी. टन हो गया। इस प्रकार 1991-2001 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 44.1 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

इसी क्रम में वर्ष 2001-02 में चीनी का उत्पादन 5260 हजार मी.टन था जो 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2002-03 में 5651 हजार मी.टन हो गया । तत्पश्चात् चीनी के उत्पादन में कमी और वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में यह क्रमश: 7320 हजार मी.टन, 4064 हजार मी. टन एवं 5179 हजार मी. टन हो गया। इस प्रकार 2002-2010 की अवधि में इसके उत्पादन में समग्र रुप से 1.5 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई।

वर्ष 1990-91 में सीमेंट का उत्पादन 785 हजार टन था जो बढ़कर वर्ष 2000-01 में 1602 हजार टन हो गया। इस प्रकार 1991-2001 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 104.1 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी क्रम में वर्ष 2001-02 में सीमेंट का उत्पादन 1827 हजार टन था जो निरन्तर बढता हुआ वर्ष 2008-09 में 6033 हजार टन हो गया। इस प्रकार 2002-2009 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 230.2 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

इसी प्रकार वर्ष 1990-91 में वनस्पति तेल का उत्पादन 148 हजार मी. टन था जो बढ़कर वर्ष 2000-01 में 393 हजार मी. टन हो गया। इस प्रकार 1991-2001 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 165.5 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी क्रम में वर्ष 2001-02 में वनस्पति तेल का उत्पादन 434 हजार मी. टन था जो घटकर वर्ष 2008-09 में 302 हजार मी. टन हो गया। इस प्रकार 2002-2009 की अवधि में इसके उत्पादन में 30.4 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

प्रदेश में सूती कपड़ों के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है । उक्त तालिका के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सूती कपड़े का उत्पादन वर्ष 1990-91 में 1048 लाख वर्ष मीटर था जो गिरकर वर्ष 2000-01 में

287 लाख वर्ग मीटर के स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार 1991-2001 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 72.6 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। इसी क्रम में वर्ष 2001-02 में सूती कपड़ें का उत्पादन 319 लाख वर्गमीटर था जो 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2002-03 में 324 लाख वर्ग मीटर हो गया। वर्ग 2004-05 में घटकर यह 263 लाख वर्ग मीटर हो गया जो पुन: वर्ष 2005-06 में बढकर 268 लाख वर्ग मीटर हो गया।

तत्पश्चात् इसके उत्पादन में कमी दृष्टिगोचर हुई और घटते हुये यह वर्ष 2006-07 में 252 लाख वर्ग मीटर, वर्ष 2007-08 में 122 लाख वर्ग मीटर तथा वर्ष 2008-09 में 43 लाख वर्ग मीटर के स्तर पर पहुंच गयी । इस प्रकार 2002-2009 की अवधि में इसके उत्पादन में 86.5 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

इसी प्रकार वर्ष 1990-91 में सूत का उत्पादन 127 हजार मी. टन था जो गिरकर वर्ष 2000-01 में 51 हजार मी. टन ही रह गया। इस प्रकार 1991-2001 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 59.8 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। इसी क्रम में वर्ग 2001-02 में सूत का उत्पादन 85 हजार मी. टन था । वर्ष 2008-09 तक सूत के उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2008-09 में यह 38 हजार मी. टन हो गया। इस प्रकार 2002-2009 की अवधि में इसके उत्पादन में 55.3 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2006-07 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका 4.3 में दिये जा रहे है:-

तालिका-4.3

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2006-07)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (हजार)	शुद्ध आवर्धित मूल्य (करोड़ रु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1-आन्ध्र प्रदेश	14818	1007	27076	18	1240	269
2-आसाम	1814	137	3642	6	474	266
3-बिहार	1410	67	316	2	73	47
4-झारखण्ड	1458	147	10770	5	497	733
5-गुजरात	13925	984	47952	25	1774	487
6-हरियाणा	4348	427	15307	18	1812	358
7-हिमांचल प्रदेश	838	68	7099	12	1009	1044
8-कर्नाटक	7602	712	31295	13	1257	440
9-केरल	5075	345	3559	15	1032	103
10-मध्य प्रदेश	3018	237	11129	4	353	470
11-छत्तीसगढ	1698	139	11919	7	599	857
12-महाराष्ट्र	18073	1403	95371	17	1327	680
13-उड़ीसा	1829	163	9023	5	417	554
14-पंजाब	9097	507	10429	34	1879	206
15-राजस्थान	5890	305	12153	9	485	398
16-तमिलनाडु	22255	1900	37784	34	2904	199
17-उत्तर प्रदेश	10366	695	22828	6	375	328
18-उत्तराखण्ड	1143	95	4979	12	1021	524
19-प.बंगाल	5776	511	11488	7	596	225
20-गोवा	500	42	3613	33	2769	860
भारत	**138617**	**10328**	**395725**	**12**	**920**	**383**

स्रोत :- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2006-07 खण्ड-1, भारत सरकार ।

नोट:-उक्त तालिका में वर्ष 2006-07 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 में पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या पर औसत दैनिक कार्यरत व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में (2904) थी । उसके पश्चात् गोवा (2769) का स्थान दूसरा, पंजाब (1879) का स्थान तीसरा, हरियाणा (1812) का स्थान चौथा तथा गुजरात (1774) का स्थान पांचवां रहा, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (375) का स्थान 18वाँ है ।

इसी प्रकार प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य 1044 हजार रु0 सर्वाधिक हिमांचल प्रदेश में रहा । उसके पश्चात् गोवा (860 हजार रु0) का स्थान दूसरा, छत्तीसगढ़ (857 हजार रु0) का स्थान तीसरा, झारखण्ड (733 हजार रु0) का स्थान चौथा तथा महाराष्ट्र (680 हजार रु0) का स्थान पांचवां रहा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (328 हजार रु0) का स्थान 13वां है ।

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु 1262.46 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 43.74 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 51.25 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 53.01 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 126.22 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 73.68 करोड़ रुपये व्यय किये गये। ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 2347.10 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2007-08 में 106.34 करोड़ रुपय एवं वर्ष 2008-09 में 215.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु 339.46 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 24.66 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 49.76 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 38.47 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 51.83 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 35.64 करोड़ रुपये व्यय किये गये । ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 851.57 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2007-08 में 63.22 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में 54.80 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 4.4 दी जा रही है:-

तालिका–4.4

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1999–2000=100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष			गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2007–08	2008–09	2009–10	
1	2	3	4	5	6
1	खाद्य विनिर्माण	215.22	154.06	148.68	(–)3.5
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	420.76	414.03	481.92	16.4
3	सूती कपड़ा	82.52	66.52	81.23	22.1
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	96.28	95.77	101.39	5.9
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	54.58	51.02	51.76	1.5
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	116.95	113.82	131.51	15.5
7	अन्य	223.30	292.22	241.26	(–)17.4
	विनिर्माण सूचकांक	**166.31**	**156.90**	**166.29**	**6.0**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1999–2000=100) वर्ष 2008–09 में 156.90 था जो 6.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 में 166.29 हो गया। गत वर्ष 2008–09 की अपेक्षा वर्ष 2009–10 में खाद्य विनिर्माण एवं अन्य वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों के उत्पादन सूचकांकों में वृद्धि परिलक्षित हुई। सबसे अधिक वृद्धि (22.1 प्रतिशत) सूती कपड़ा वर्ग में हुई ।

खनिज:-

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है । भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यों द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है ।

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में खनिज कार्यक्रमों पर 13.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था । जिसमे से उक्त मद पर वर्ष 2002–03 में 0.55 करोड़ रुपये, वर्ष 2003–04 में 0.68 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 0.48 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 0.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये । ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में इस मद हेतु 13.40 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिकासैण्ड, गन्धक तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थो के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 4.5 में दिये जा रहे है:-

तालिका–4.5

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र. स.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		2007–08 की अपेक्षा 2008–09 में प्रतिशत वृद्धि	परिमाण ('000) टन.		2007–08 की अपेक्षा 2008–09 में प्रतिशत वृद्धि
		2007–08	2008–09*		2007–08	2008–09*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डायस्पोर	105	156	48.6	9.916	14.311	44.3
2	पायरोफाइलाइट	46	53	15.2	22.165	21.966	(–)0.9
3	गन्धक	0.0	0.0	0.0	31.673	42.915	35.5
4	सिलिकासैड	395	206	(–)47.8	182.737	171.987	(–)5.9
5	कोयला	88641	90531	2.1	11426	12030	5.3

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में गतवर्ष की अपेक्षा वर्ष 2008-09 में सिलिकासैण्ड के उत्पादन के मूल्य में गिरावट आयी है जबकि डायस्पोर, पायरोफाइलाइट एवं कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है । सर्वाधिक कमी सिलिकासैण्ड (47.8 प्रतिशत) एवं सर्वाधिक वृद्धि डायस्पोर (48.6 प्रतिशत) के उत्पादन के मूल्य में हुई। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2008-09 में सिलिकासैण्ड एवं पायरोफाइलाइट को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (44.3 प्रतिशत) डायस्पोर तथा सबसे कम वृद्धि कोयले (5.3 प्रतिशत) के उत्पादन में हुई जबकि सर्वाधिक कमी सिलिकासैण्ड में (5.9 प्रतिशत) हुई ।

उप खनिज पदार्थो की भी अपनी महत्ता है । इन पदार्थो की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख है ।

इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 4.6 में दिये जा रहें है:

तालिका-4.6

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र. स.	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य(लाख रू. में)			परिमाण(लाख घनमीटर)		
		2008-09	2009-10*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2008-09	2009-10*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	20050.0	22500.0	12.2	235.88	225.00	(-)4.6
2	स्लैव स्टोन	3250.0	12500.0	284.6	3.42	10.25	199.7
3	गिट्टी	61800.0	91500.0	148.1	325.26	375.00	15.3
4	ग्रेनाइट	1500.0	1500.0	0	0.24	0.20	(-)16.7
5	ईट बनाने की मिट्टी	134700.0	134700.0	0	808.33	635.30	(-)21.4
6	मौरंग	17500.0	20000.0	14.3	152.17	142.86	(-)6.1
7	बजरी	400.0	250.0	(-)37.5	2.50	1.56	(-)37.6

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 की अपेक्षा वर्ष 2009-10 में बजरी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (284.6 प्रतिशत) स्लैव स्टोन के मूल्य में हुई है । ग्रेनाइट एवं ईट बनाने की मिट्टी के मूल्य में कोई परिर्वतन नहीं हुआ है । इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 में स्लैव स्टोन एवं गिट्टी को छोडकर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में गिरावट आयी है । सबसे अधिक गिरावट (37.6 प्रतिशत) बजरी के उत्पादन में एवं सबसे कम गिरावट (4.6 प्रतिशत) साधारण बालू मद में हुई ।

विद्युत:-

सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में विद्युत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है वहीं हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है । यही कारण है कि आज के युग में विद्युत विकास का पर्याय हो गया है । इसलिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे है। विद्युत सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में विद्युत हेतु 9082.49 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 925.81 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 1037.97 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 859.38 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 972.30 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 1928.72 करोड़ रुपये व्यय किये गये। ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 26331.59 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 4551.82 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में 5993.30 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

उत्तर प्रदेश में विद्युत से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 4.7 में दिये जा रहे है:-

तालिका–4.7

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2008–09	2009–10	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता(मेगावाट)	4558.1	4608.1	1.1
2	उपभोग(मिलियन यूनिट)	39494.2	41338.5	4.7
3	कुल उत्पादन(मिलियन यूनिट)	20686.2	21067.0	1.8
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	10951	11498	5.0
5	राजस्व वसूली(करोड़ रु0)	10488.2	11628.3	10.9
6	विद्युत बकाया(करोड़ रु0)	10597.6	23497.7	121.7

स्रोत :- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 4608.1 मेगावाट है जो गत वर्ष 2008-09 की अधिष्ठापित क्षमता 4558.1 मेगावाट की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में कुल विद्युत उत्पादन 21067.0 मिलियन यूनिट है, जो गत वर्ष के कुल उत्पादन 20686.2 मिलियन यूनिट की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक रहा । इसी प्रकार विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2009-10 में 11498 हजार है, जो गत वर्ष के उपभोक्ताओं की संख्या 10951 हजार की तुलना में 5.0 प्रतिशत अधिक है । विद्युत वसूली से आय वर्ष 2009-10 में 11628.3 करोड़ रुपये हुई, जो गत वर्ष की वसूली 10488.2 करोड़ रुपये से 10.9 प्रतिशत अधिक है तथा वर्ष 2009-10 का विद्युत बकाया 23497.7 करोड़ रुपये गत वर्ष के विद्युत बकाये 10597.6 करोड़ रुपये से 121.7 प्रतिशत अधिक है ।

उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन एवं विद्युत उपभोग सम्बन्धी आंकड़ें तालिका 4.8 में दिये जा रहे हैं।

तालिका-4.8

उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता एवं कुल विद्युत उत्पादन/उपभोग सम्बन्धी आंकडे 2008-2009

क्र. सं.	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता+ (मेगावाट)	भारत से प्रतिशत अंश	विद्युत उत्पादन+ (लाख कि. वा.घं.)	भारत से प्रतिशत अंश	विद्युत उपभोग+ (लाख कि. वा.घं.)	भारत से प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	9224.28	6.2	424391.0	5.7	542411.4	10.3
2	बिहार	590.40	0.4	4985.9	0.1	49840.6	0.9
3	झारखण्ड	1754.05	1.2	56721.7	0.8	125829.3	2.4
4	गुजरात	9273.20	6.3	468337.9	6.3	459678.9	8.7
5	हरियाणा	3099.35	2.1	175306.9	2.4	192914.1	3.7
6	कर्नाटक	8095.76	5.5	328844.5	4.4	360395.9	6.8
7	केरल	2305.98	1.6	75758.7	1.0	121888.9	2.3
8	मध्य प्रदेश	4773.88	3.2	197443.5	2.7	216780.5	4.1
9	छत्तीसगढ़	3074.15	2.1	205638.6	2.8	120214.5	2.3
10	महाराष्ट्र	15284.06	10.3	699045.6	9.4	728044.2	13.8
11	उड़ीसा	2520.23	1.7	91422.1	1.2	117325.2	2.2
12	पंजाब	5111.30	3.5	277108.6	3.7	292246.3	5.5
13	राजस्थान	4702.94	3.2	264052.5	3.6	266415.7	5.0
14	तमिलनाडु	11131.55	7.5	438718.3	5.9	535534.9	10.2
15	पश्चिम बंगाल	6890.13	4.7	294144.2	4.0	277793.0	5.3
16	उत्तर प्रदेश	5046.48	3.4	251905.9	3.4	396368.2	7.5
17	उत्तराखण्ड	1762.12	1.2	68281.2	0.9	47361.1	0.9
18	हिमांचल प्रदेश	964.84	0.7	40654.4	0.5	54605.1	1.0
19	आसाम	471.30	0.3	18592.2	0.3	27976.0	0.5
20	गोवा	78.05	0.1	4178.4	0.1	26169.8	0.5
	भारत	**147965.41**	**100.0**	**7411673.6**	**100.0**	**5275639.7**	**100.0**

*अनन्तिम + केवल जनोपयोगी

स्रोत :- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2008-09 में 5046.48 मेगावाट थी जो राष्ट्रीय औसत 147965.41 मेगावाट का मात्र 3.4 प्रतिशत रही। जबकि महाराष्ट्र का स्थान (10.3 प्रतिशत) सर्वोपरि रहा। उसके पश्चात् तमिलनाडु (7.5 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, गुजरात (6.3 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, आन्ध्र प्रदेश (6.2 प्रतिशत) का स्थान चौथा, कर्नाटक (5.5 प्रतिशत) का स्थान पांचवां, पश्चिम बंगाल (4.7 प्रतिशत) का स्थान छठवां तथा इसी कम में उत्तर प्रदेश (3.4 प्रतिशत) का स्थान आठवां रहा। सबसे कम अधिष्ठापित क्षमता गोवा की 78.05 मेगावाट थी जो राष्ट्रीय औसत 147965.41 मेगावाट का मात्र 0.1 प्रतिशत रही।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में कुल विद्युत उत्पादन 251905.9 लाख कि.वा.घंटा रहा, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन (7411673.6 लाख कि.वा.घंटा) का मात्र 3.4 प्रतिशत रहा, जबकि महाराष्ट्र में यह प्रतिशत 9.4 सर्वाधिक रहा तथा उसके पश्चात् गुजरात (6.3 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, तमिलनाडु (5.9 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, आन्ध्र प्रदेश (5.7 प्रतिशत) का स्थान चौथा, कर्नाटक (4.4 प्रतिशत) का स्थान पांचवां तथा इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (3.4 प्रतिशत) का स्थान नवां रहा। सबसे कम विद्युत उत्पादन गोवा का 4178.4 लाख कि.वा.घंटा रहा जो राष्ट्रीय औसत का मात्र 0.1 प्रतिशत रहा ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में कुल विद्युत उपभोग 396368.2 लाख कि.वा.घंटा था, जो देश के कुल विद्युत उपभोग (5275639.7 लाख कि.वा.घंटा) का मात्र 7.5 प्रतिशत रहा । महाराष्ट्र में सर्वाधिक विद्युत का उपभोग 13.8 प्रतिशत रहा, उसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश (10.3 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, तमिलनाडु (10.2 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, गुजरात (8.7 प्रतिशत) का स्थान चौथा तथा इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (7.5 प्रतिशत) का स्थान पांचवां रहा। सबसे कम विद्युत उपभोग गोवा का 26169.8 लाख कि.वा.घंटा रहा जो राष्ट्रीय औसत का मात्र 0.5 प्रतिशत रही।

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग तथा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या सम्बंधी आंकड़े तालिका 4.9 में दिये जा रहे है:-

तालिका-4.9

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग तथा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े-2008-09*

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युतउत्पादन+ (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग++ (कि.वा.घंटा)	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	513(10)	656(8)	26613	100.00
2	बिहार	5(20)	53(20)	23914	61.29
3	झारखण्ड	188(17)	416(12)	9119	31.07
4	गुजरात	824(3)	808(4)	18015	99.72
5	हरियाणा	731(4)	805(5)	6764	100.00
6	कर्नाटक	569(9)	624(9)	27458	99.92
7	केरल	220(16)	354(14)	1364	100.00
8	मध्य प्रदेश	282(13)	310(16)	50226	96.37
9	छत्तीसगढ़	861(2)	504(10)	18877	95.61
10	महाराष्ट्र	649(7)	676(7)	36296	88.32
11	उड़ीसा	228(15)	292(17)	29735	62.56
12	पंजाब	1035(1)	1092(2)	12278	100.00
13	राजस्थान	405(11)	408(13)	27506	69.19
14	तमिलनाडु	658(6)	803(6)	15400	100.00
15	पश्चिम बंगाल	333(12)	314(15)	36934	97.34
16	उत्तर प्रदेश	131(18)	205(18)	86450	88.27
17	उत्तराखण्ड	713(5)	495(11)	15213	96.52
18	हिमांचल प्रदेश	617(8)	829(3)	17183	98.22
19	आसाम	62(19)	93(19)	19741	78.57
20	गोवा	252(14)	1580(1)	347	100.00
	भारत	**640**	**456**	**496365**	**83.60**

+केवल जनोपयोगी ++जनोपयोगी एवं अजनोपयोगी *अनन्तिम

स्रोत - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार ।

टिप्पणी:- कोष्ठक में रैंकिंग दी गयी है।

नोट- प्रतिव्यक्ति गणना के लिये केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त सम्बंधित राज्यों की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में (1035 कि.वा.घंटा), उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ (861 कि.वा.घंटा), गुजरात (824 कि.वा.घंटा), हरियाणा (731 कि.वा.घंटा), उत्तराखण्ड (713 कि.वा.घंटा), तमिलनाडु (658 कि.वा.घंटा), महाराष्ट्र (649 कि.वा.घंटा) के पश्चात् इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (131 कि.वा.घंटा) का स्थान 18वां रहा। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग सर्वाधिक गोवा में (1580 कि.वा.घंटा) रहा, उसके पश्चात् पंजाब में (1092 कि.वा.घंटा), हिमांचल प्रदेश (829 कि.वा.घंटा), गुजरात (808 कि.वा.घंटा), हरियाणा (805 कि.वा.घंटा), तमिलनाडु (803 कि.वा.घंटा), महाराष्ट्र (676 कि.वा.घंटा) के पश्चात् इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (205 कि.वा.घंटा) का स्थान 18वां रहा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2008-09 में 86450 थी, जबकि विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत 88.3 था । जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 83.6 रहा और वहीं आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब, तमिलनाडु एवं गोवा राज्यों में शत-प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है । नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 20842 सर्किट/कि.मी. पारेषण लाइनें उपलब्ध थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अन्त तक पारेषण लाइनों का विस्तार 25464 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2002-03 के अन्त तक उक्त लम्बाई बढ़कर 21034 सर्किट/कि.मी. हो गयी । वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में इनकी लम्बाई बढ़कर क्रमशः 21376 सर्किट/कि.मी., 21755 सर्किट/कि.मी., 22223 सर्किट/कि.मी. एवं 21618

सर्किट/कि.मी. हो गयी । इस प्रकार 2002–2007 की अवधि में पारेषण लाइनों के विस्तार में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के अन्त तक पारेषण लाइनों के विस्तार 32825 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त लम्बाई वर्ष 2007–08 में 22339 सर्किट/कि. मी. एवं वर्ष 2008–09 में 22968 सर्किट/कि.मी. हो गयी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है । भारत के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक आदि में ग्रामों के विद्युतीकरण को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अभी काफी पीछे है । उत्तर प्रदेश के 97941 कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के अन्त तक क्रमशः 57113, 59241, 66933, 83558, 86316, 86899 तथा 87064 ग्रामों का एल.टी. मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

प्रदेश में मलिन बस्तियों तथा हरिजन बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा यथोचित् प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 के अन्त तक क्रमशः 61750, 64190, 71910, 88687, 91508, 92092 तथा 94296 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है।

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या 8.38 लाख तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के अन्त तक उक्त संख्या बढ़कर क्रमशः

8.00 लाख, 8.07 लाख, 8.14 लाख, 8.26 लाख एवं 8.56 लाख हो गयी । ।।वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में उर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या 9.56 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के अंत तक उक्त संख्या बढ़कर 8.78 लाख एवं 9.1 लाख हो गयी ।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतो के क्षयशील होने एवं इनके उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं । इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1988 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) की स्थापना की गयी । ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जन विद्युत ऊर्जा जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपर्युक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या के निदान हेतु भारत सरकार के निर्देशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम पर 529.50 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 2.05 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 4.33 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 2.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 1.70 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 4.57 करोड़ रुपये व्यय किये गये। ।।वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम हेतु 39.44 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 0.99 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में 2.53 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

****

अध्याय-5

सड़क, परिवहन एवं संचार

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। यह प्रदेशवासियों को सुखी एवं समुन्नत जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश/प्रदेश में रेल मार्गो, वायु मार्गो, जल मार्गो एवं रज्जु मार्गो का भी विकास किया जा रहा है। प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क यातायात का भी विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है ।

कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि के लिये सड़क एवं संचार जैसे अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है । प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में इन सुविधाओं हेतु व्यापक परिव्यय सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में यातायात सुविधाओं के प्रसार पर वर्ष 2008-09 में 5448.40 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो गत वर्ष 2007-08 के व्यय 4541.37 करोड़ रुपये की तुलना में 20.0 प्रतिशत अधिक रहा । उत्तर प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के विस्तार व मरम्मत पर वर्ष 2007-08 में 4395.35 करोड़ रुपये एवं बर्ष 2008-09 में 5225.86 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

सड़क

परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार पर्याप्त सीमा तक सड़कों के विकास पर निर्भर करता है । सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की प्रक्रिया से कुछ स्तर तक रोजगार के अवसर भी सुलभ हो जाते है।

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़कों की लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका 5.1 में दर्शाये गये है :-

तालिका–5.1

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई

(कि0मी0)

सड़कों का वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में	तारकोल	कंकड़ पत्थर की सतह	सीमेंट कंक्रीट /सीमेंट कंक्रीट ट्रैक्स	योग
1	2	3	4	5	6
1–राष्ट्रीय मार्ग	2001–02	3912	–	–	3912
	2004–05	4045	–	–	4045
	2006–07	3794	–	–	3794
	2007–08	3820	–	–	3820
	2008–09	3820	–	–	3820
2–राज्य मार्ग	2001–02	9059	39	–	9098
	2004–05	8868	20	–	8888
	2006–07	8429	20	–	8449
	2007–08	8367	24	–	8391
	2008–09	8723	16	–	8739
3–जिले की	2001–02	84805	6211	111	91127
अन्य सड़कें	2004–05	104949	3534	111	108594
	2006–07	116623	2994	109	119726
	2007–08	132046	2365	106	134517
	2008–09	144844	1609	99	146552
4–कुल सड़कें	2001–02	97776	6250	111	104137
	2004–05	117862	3554	111	121527
	2006–07	128846	3014	109	131969
	2007–08	144233	2389	106	146728
	2008–09	157387	1625	99	159111

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2002 तक कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 104137 कि0मी0 थी जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 159111 कि0मी0 हो गयी। इस प्रकार 2002–2009 की अवधि में इसमें 52.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिये प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों (पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड) में बांटा गया है । तालिका 5.2 में आर्थिक क्षेत्रवार लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़को की लम्बाई सम्बंधी आंकड़े दर्शाये गये है:-

तालिका-5.2

उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रवार लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (31 मार्च, 2009 तक)

आर्थिक क्षेत्र	उपलब्ध पक्की सड़के (कि0 मी0)			
	कुल लम्बाई	प्रतिशत अंश	प्रति लाख जनसंख्या पर	प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर
1	2	3	4	5
1-पूर्वी	65371	41.09	84.81	76.15
2-पश्चिमी	54499	34.25	76.86	68.27
3-केन्द्रीय	28198	17.72	80.50	61.52
4-बुन्देलखण्ड	11043	6.94	118.29	37.54
उत्तर प्रदेश	**159111**	**100.00**	**82.73**	**66.04**

नोट-उक्त तालिका में वर्ष, 2008 **की** प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2009 तक कुल पक्की सड़कों की लम्बाई का सर्वाधिक अंश (41.09 प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र (34.25 प्रतिशत) द्वितीय स्थान पर रहा । इसके बाद केन्द्रीय क्षेत्र (17.72 प्रतिशत) का स्थान तीसरा तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (6.94 प्रतिशत) का स्थान चौथा रहा । कुल पक्की सड़कों की लम्बाई का सबसे कम अंश (6.94 प्रतिशत) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रहा किन्तु उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई सर्वाधिक (118.29 कि0मी0) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (76.86 कि0मी0) पश्चिमी क्षेत्र में रही । क्षेत्रफल के आधार पर प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर उपलब्ध पक्की सड़कों की लम्बाई उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक (76.15 कि0मी0) रही तथा पश्चिमी क्षेत्र (68.27 कि0मी0) का स्थान दूसरा रहा जो प्रदेशीय औसत 66.04 कि0मी0 से अधिक था । केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में उपलब्ध पक्की सड़कें प्रदेशीय औसत से कम रही ।

परिवहन

परिवहन सेवाओं का विस्तार देश/प्रदेश की समृद्धि एवं सुदृढ़ औद्योगिक विकास का परिचायक है । प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति परिवहन सेवाओं के विकास पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। सड़कों के विस्तार के साथ ही परिवहन सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है । निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददेश्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका 5.3 में दर्शाये गये है।

तालिका–5.3

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2001–02	2004–05	2007–08	2008–09	2009–10*	2008–09 की अपेक्षा 2009–10 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	5	6	7	8
1–औसतपरिचालित बसे(सं0)	5523	6448	7130	7349	8020	9.1
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	1833	1859	2246	2490	2707	8.7
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई (कि0मी0)	212	227	217	229	231	0.9
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की कुललम्बाई (हजार कि.मी.)	389	423	487	571	626	9.6
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार कि0 मी0)	1612	1989	2470	2585	2877	11.3
6 प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	7.77	10.32	12.11	12.78	13.08	2.3
7–दुर्घटनायें (प्रति लाख कि0मी0)	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	(–)9.1
8–प्रति कि0मी0 आय (रूपये)	10.66	12.02	13.73	14.99	15.65	4.4
9–कुल दुर्घटनायें (संख्या)	817	911	966	950	924	(–)2.7
10–ईधन औसत खपत (कि0मी0 प्रति लीटर)	4.87	5.03	5.31	5.32	5.33	0.2

* अनन्तिम

स्रोत :– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा औसत परिचालित बसों की संख्या 7349 थी, जो वर्ष 2009-10 में 9.1 प्रतिशत बढ़कर 8020 हो गयी । वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या वर्ष 2008-09 में 2490 थी, जो वर्ष 2009-10 में 8.7 प्रतिशत बढ़कर 2707 हो गयी। वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई वर्ष 2008-09 में 229 कि0मी0 थी, जो वर्ष 2009-10 में 0.9 प्रतिशत बढ़कर 231 कि0मी0 हो गयी। वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की कुल लम्बाई वर्ष 2008-09 में 571 हजार कि0मी0 थी, जो वर्ष 2009-10 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर 626 हजार कि0मी0 हो गयी। इसी प्रकार प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2008-09 में 12.78 लाख थी, जो वर्ष 2009-10 में 2.3 प्रतिशत बढ़कर 13.08 लाख हो गयी।

जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गो पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है । इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 5.4 में दर्शाये गये है:-

तालिका-5.4

उत्तर प्रदेश सें सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां (राजकीय व निजी क्षेत्र)

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)					2008-09 की अपेक्षा 2009-10 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10*		2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- मोटर साइकिल	3834680	5652044	7160314	8521198	9493677	11.41	79.1	79.1
2- कार	321747	499148	656457	775569	873251	12.59	7.1	7.3
3- बस	31280	30924	31492	34239	36722	7.25	0.3	0.3
4- टैक्सी	95170	107939	125056	139291	162443	16.62	1.3	1.4
5- ट्रक	116427	165289	208447	240595	268773	11.71	2.2	2.2
6- ट्रैक्टर	677366	742717	796940	893683	953959	6.74	8.3	8.0
7- अन्य	100402	152526	169849	182395	208386	14.25	1.7	1.7
कुल	**5177072**	**7350587**	**9148555**	**10786970**	**11997211**	**11.22**	**100.0**	100.0

* अनन्तिम

स्त्रोत:- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम ।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 2008-09 की अपेक्षा वर्ष 2009-10 में सड़क पर चल रही कुल मोटर गाड़ियों की संख्या में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टैक्सी की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि (16.6 प्रतिशत) हुई, जो प्रदेशीय वृद्धि (11.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक रही। ट्रैक्टर की संख्या में सबसे कम वृद्धि (6.7 प्रतिशत) रही। उपरोक्त आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रदेश में मोटर साइकिले, ट्रैक्टर तथा कार अधिक संख्या में प्रयुक्त की जा रही है।

जनसाधारण को यातायात सम्बंधी कठिनाई न हो इसके लिये आवश्यक है कि जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में यातायात सुविधाओं का भी विस्तार हो । इसकी विवेचना हेतु तालिका 5.5 में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या सम्बंधी आंकड़े दर्शाये गये है:-

तालिका-5.5

उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गों पर चालित मोटर वाहनों की संख्या (31, मार्च को)

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 की अपेक्षा 2009-10 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1-मोटर साइकिल	2276	3168	3780	4431	4848	9.4
2-कार	191	280	347	403	446	10.7
3-बस	19	17	17	18	19	5.6
4-टैक्सी	57	61	66	72	83	15.3
5-ट्रक	69	93	110	125	137	9.6
6-ट्रैक्टर	402	416	421	465	487	4.7
7-अन्य	60	85	90	95	106	11.6
कुल	**3072**	**4120**	**4830**	**5609**	**6126**	**9.2**

नोट: उक्त तालिका में विभिन्न वर्षो के लिये 1 अक्टूबर की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

तालिकागत आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चालित कुल मोटर गाड़ियों की संख्या वर्ष 2008 09 में 5609 थी, जो 9.2 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2009-10 में 6126 हो गयी। वर्ष 2008 09 की अपेक्षा वर्ष 2009 10 में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चालित सभी मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुयी है।

परिवहन विभाग के सड़क परिवहन किया-कलापों में मुख्यत: मोटर गाड़ी अधिनियम, मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, यात्रीकर अधिनियम तथा मालकर अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन सम्मिलित है । प्रदेश में परिवहन कर से प्राप्तियों का विवरण तालिका-5.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका-5.6

उत्तर प्रदेश में परिवहन कर की प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2007-08 की अपेक्षा 2008-09में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1-वाहन कर	503.04	775.84	1145.84	1124.66	(-)1.8
	(86.8)	(90.5)	(91.3)	(80.8)	
2-माल तथा	76.65	81.74	109.65	266.49	143 .0
यात्रीकर	(13.2)	(9.5)	(8.7)	(19.2)	
योग	**579.69**	**857.58**	**1255.49**	**1391.15**	**10.8**
	(100. 0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	

स्रोत :- राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान 2010-11

नोट:- कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में वाहन कर से 503.04 करोड़ रुपये तथा माल एवं यात्री कर से 76.65 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई । इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में उक्त दोनो मदों से प्राप्त राजस्व क्रमश: 775.84 करोड़ रुपये व 81.74 करोड़ रुपये, वर्ष 2007-08 में क्रमश: 1145. 84 करोड़ रुपये व 109.65 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2008-09 में क्रमश: 1124.66 करोड़ रुपये व 266.49 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्याधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में कुल डाकघरों की संख्या 17627 थी जिनमें 1938 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15689 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे । वर्ष 2009-10 में इनकी संख्या बढ़कर 17666 हो गयी, जिनमें 1947 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15719 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका-5.7 में दर्शायी गयी है:-

तालिका-5.7

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	2001-02	2004-05	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
डाकघरों की संख्या	17627	17658	17662	17662	17666
(क) नगरीय	1938	1959	1946	1943	1947
(ख) ग्रामीण	15689	15699	15716	15719	15719

संदेशवाहन सेवा के साथ ही डाकघरों के माध्यम से जनसामान्य में मितव्ययता की भावना को जागृत करने के लिये राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम भी चलाये जाते है । विकास कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधन सुलभ कराने की दिशा में डाकघर एक उपयोगी माध्यम है । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल शुद्ध जमा धनराशि वर्ष 2001-02 में 4830.31 करोड़ रुपये थी, जो बढकर वर्ष 2009-10 में 6250.44 करोड़ रुपये हो गयी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल शुद्ध जमा धनराशि की स्थिति तालिका-5.8 में दर्शायी गयी है:-

तालिका–5.8

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत

(करोड़ रू0)

वर्ष	जमा धनराशि	निष्कासित धनराशि	शुद्ध जमा धनराशि
1	2	3	4
2001–02	10370.13	5539.82	4830.31
2004–05	15611.38	8203.28	7408.10
2005–06	18941.47	11242.65	7698.82
2006–07	18257.44	12306.30	5951.14
2007–08	13663.89	12530.31	1133.58
2008–09	15843.05	14495.19	1347.86
2009–10	20979.12	14728.68	6250.44

दैनिक जीवन तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2001–02 में उत्तर प्रदेश में कुल 2836402 बेसिक टेलीफोन तथा 3117 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2009–10 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या घटकर 2614085 तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या बढ़कर 3258 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद विस्तार के परिणाम स्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन एवं टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति तालिका–5.9 में दर्शायी गयी है:–

तालिका–5.9

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन एवं टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या
1	2	3
2001–02	2836402	3117
2004–05	1771533	3265
2005–06	2790804	3268
2006–07	2525045	3277
2007–08	2519405	3273
2008–09	2620 403	3339
2009–10	2614085	3258

****

अध्याय-6

सामाजिक सेवायें

शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सेवा, पेय जल सुविधा इत्यादि सामाजिक सेवा के प्रमुख अंग है । इनके बिना प्रदेश के विकास की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में वांछित प्रगति लाना व्यवहारिक नही हो सकेगा । उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में शिक्षा, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य तथा जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता मदों के लिए क्रमशः 4302.81 करोड़ रूपये, 2405.43 करोड़ रुपये तथा 5337.97 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें से वर्ष 2002-03 में उक्त मदों पर क्रमशः 323.35 करोड़ रुपये, 270.18 करोड़ रुपये तथा 288.33 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में क्रमशः 295.75 करोड़ रुपये, 202.35 करोड़ रुपये तथा 315.95 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में क्रमशः 1031.95 करोड़ रूपये, 398.76 करोड़ रुपये तथा 390.88 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में क्रमशः 1385.71 करोड़ रुपये, 920.24 करोड़ रुपये तथा 734.90 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में क्रमशः 2168.34 करोड़ रुपये, 1946.61 करोड़ रुपये तथा 677.88 करोड़ रुपये व्यय किये गये । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इन मदों के लिए क्रमशः 18850.83 करोड़ रूपये, 13194.05 करोड़ रुपये तथा 5367.34 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मदों पर क्रमशः 1670.03 करोड़ रुपये, 1493.60 करोड़ रुपये तथा 731.78 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में क्रमशः 1723.79 करोड़ रुपये, 1847.39 करोड़ रुपये तथा 1047.51 रुपये व्यय किये गये ।

शिक्षा:

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख

साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते है। शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है क्योंकि वर्ष 1991 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 41.6 था जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 52.2 था । इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 था जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 64.8 था ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 55.7 था, जबकि भारत में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 64.1 था । इसी प्रकार वर्ष 2001 में प्रदेश में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 68.8 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 75.3 था ।

उत्तर प्रदेश में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत वर्ष 1991 में 25.3 था, जबकि भारत में यह प्रतिशत 39.3 था । इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणनानुसार प्रदेश में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत 42.2 था जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत 53.7 था ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सतत् प्रयासों के बावजूद भी अभी हम शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं । इसके आंकलन के लिए तालिका 6.1 नीचे दी जा रही है:-

तालिका-6.1

उत्तर प्रदेश एवं भारत के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े

क्रमांक	जनसंख्या वर्ग	साक्षरता प्रतिशत			
		उत्तर प्रदेश		भारत	
		1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5	6
1	पुरूष	55.7	68.8	64.1	75.3
2	स्त्री	25.3	42.2	39.3	53.7
3	कुल	41.6	56.3	52.2	64.8

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.62 करोड़ है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 13.46 करोड़ है। 7 वर्ष से अधिक की आयु में साक्षरों की संख्या 7.57 करोड़ है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 68.8 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 42.2 है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में गत 10 वर्षो में साक्षरता में वृद्धि 14.7 प्रतिशत, पुरुषों में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा महिलाओं में यह वृद्धि 16.9 प्रतिशत हुई है। इसे उक्त तालिका 6.1 से देखा जा सकता है ।

साक्षर भारत कार्यक्रम:

प्रदेश में 15-35 वय वर्ग के निरक्षरों के लिए पूर्व में संचालित सभी साक्षरता कार्यक्रमों को भारत सरकार के आदेशानुसार 31 मार्च, 2009 को बंद कर दिया गया है । "साक्षर भारत मिशन-2012" कार्यक्रम का शुभारम्भ 8 सितम्बर, 2009 को किया गया है । इस कार्यक्रम के उददे्श्य निम्नवत् है-

1. महिला साक्षरता दर में वृद्धि कर पुरुष साक्षरता दर के बराबर लाना ।

2. ग्रामीण साक्षरता दर एवं शहरी साक्षरता दर में समानता लाना ।

साक्षर भारत योजना में महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है । इस हेतु प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिये महिला साक्षरता कार्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। महिला साक्षरता कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा । इस हेतु ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर लोक शिक्षा समितियों की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक 10 निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करने के लिये एक स्वयं सेवक नामित किया जायेगा ।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की स्थिति -

उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु का साक्षरता प्रतिशत 51.07 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 66.19 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 34.28 प्रतिशत है । 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरता प्रतिशत के आधार पर 50 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले प्रदेश में 66 जनपद है । साक्षर भारत योजना का लक्ष्य 182 लाख व्यक्तियों जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलायें है, को साक्षर बनाना है । वर्ष 2009-2010 में प्रदेश के 26 जनपदों में यह योजना लागू की जा रही है ।

प्रदेश में न्यून साक्षरता स्तर के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के अध्ययन हेतु अनुदान की व्यवस्था तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर एवं शालात्यागी बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 454 विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे है । इन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्याालय स्तर की आवासीय शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।

नेशनल प्रोग्राम फार एजुकेशन आफ गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)

यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश के 680 विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है । विद्यालय के बाहर की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, बालिकाओं की शाला त्यागने की प्रवृत्ति को रोकना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा उन्हें जीवन कौशल सम्बंधी ज्ञान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उक्त के अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार हेतु समाज में निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मध्यान्ह-अल्पाहार, छात्रवृत्ति की व्यवस्था आदि के प्रयास किए जा रहे है। इन प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

इन प्रयासों के पश्चात् भी वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (56.3), अरुणांचल प्रदेश (54.3 प्रतिशत), झारखण्ड (53.6 प्रतिशत) एवं बिहार (47.0 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख राज्यों से कम रहा, जो इस बात का संकेत करता है कि अभी भी इस क्षेत्र में और जागरूक होने की आवश्यकता है । वर्ष 2001 की जनगणनानुसार मुख्य-मुख्य प्रदेशों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े तालिका 6.2 में दिए जा रहे है-

तालिका–6.2

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001

क्रमांक	राज्य	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6
10	आसाम	63.3	71.3	54.6
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9
13	उड़ीसा	63.1	75.3	50.5
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9
20	केरल	90.9	94.2	87.7
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल (90.9 प्रतिशत) राज्य में रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (64.8) से भी पर्याप्त अधिक है । अन्य राज्यों महाराष्ट्र (76.9 प्रतिशत), हिमांचल प्रदेश (76.5प्रतिशत), तमिलनाडु (73.5 प्रतिशत), उत्तराखण्ड(71.6 प्रतिशत), पंजाब (69.7 प्रतिशत), गुजरात (69.1 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (68.6 प्रतिशत) की तुलना में भी उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (56.3) पर्याप्त कम है। प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रवार साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े तालिका 6.3 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–6.3

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत–2001

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1
	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2
	भारत	64.8	75.3	53.7

नोट:- आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित है ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (59.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (54.3) रहा । जबकि उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 तथा भारत का साक्षरता प्रतिशत 64.8 रहा ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में जू.बे. विद्यालयों की संख्या 144058 थी जो वर्ष 2009-10 में 1.7 प्रतिशत बढ़कर 146568 हो गयी । इसी प्रकार सी. बें. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2008-09 में 51491 थी जो वर्ष 2009-10 में 1.3 प्रतिशत बढ़कर 52155 हो गयी । वर्ष 2008-09 में हा.से. विद्यालयों की संख्या 16331 थी जो वर्ष 2009-10 में 1.1 प्रतिशत बढ़कर 16510 हो गयी ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 331 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 3.6 प्रतिशत बढ़कर 343 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 136 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 139 हजार हो गयी । वर्ष 2008-09 में हा.से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 212 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 0.5 प्रतिशत बढ़कर 213 हजार हो गयी ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में जू.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 27045 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 1.0 प्रतिशत बढ़कर 27315 हजार हो गयी। वर्ष 2008-09 में सी.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 9712 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 1.0 प्रतिशत बढ़कर 9807 हजार हो गयी । वर्ष 2008-09 में हा. से. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 10150 हजार थी जो वर्ष 2009-10 में 7.7 प्रतिशत बढ़कर 10928 हजार हो गयी।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े तालिका 6.4 में दर्शाये गये है:-

तालिका-6.4
उत्तर प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

क्रम संख्या	मद	2008-09	2009-10	वर्ष 2008-09 की अपेक्षा वर्ष 2009-10 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1	जू. बे. विद्यालय (संख्या)	144058	146568	1.7
2	सी. बे. विद्यालय (संख्या)	51491	52155	1.3
3	हा. से. विद्यालय (संख्या)	16331	16510	1.1
अध्यापक (हजार में)				
1	जू. बे. विद्यालय	331	343	3.6
2	सी. बे. विद्यालय	136	139	2.2
3	हा. से. विद्यालय	212	213	0.5
विद्यार्थी (हजार में)				
1	जू. बे. विद्यालय	27045	27315	1.0
2	सी. बे. विद्यालय	9712	9807	1.0
3	हा. से. विद्यालय	10150	10928	7.7

प्रदेश में शिक्षण सुविधाओं की सम्यक् जानकारी हेतु विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या के आँकड़े प्रति लाख जनसंख्या पर संगणित किए गए है । इनका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रवार विवरण तालिका 6.5 में दिया जा रहा है, जिससे आर्थिक क्षेत्रवार हुई प्रगति का सही-सही आंकलन किया जा सके ।

तालिका-6.5

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

(2009-10)

क्रमांक	आर्थिक क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या			विद्यार्थियों की संख्या		
		जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.	जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	68	25	8	14329	4926	6019
2	पश्चिमी	80	27	9	14062	5091	5612
3	केन्द्रीय	71	25	8	12838	4946	4855
4	बुन्देलखण्ड	106	44	7	14093	5290	4436
	उत्तर प्रदेश	**75**	**27**	**8**	**13948**	**5008**	**5580**

नोट:-उक्त तालिका में वर्ष 2009-10 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक (106) थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 68 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 75 थी ।

इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 44 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 25 केन्द्रीय एवं पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 27 रही । वर्ष 2009-10 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 9 पश्चिमी क्षेत्र में तथा सबसे कम 7 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 8 रही ।

इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (14329) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (12838) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 13948 रही । प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2009-10 में

सर्वाधिक (5290) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (4926) पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 5008 रही । वर्ष 2009-10 में प्रति लाख जनसंख्या पर हा.से. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (6019) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (4436) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 5580 रही ।

शिक्षण सुविधाओं का सम्यक् अध्ययन करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुमान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । वर्ष 2009-10 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्याथियों की संख्या के आँकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जू.बे. विद्यालयों में सर्वाधिक क्रमशः 210 एवं केन्द्रीय क्षेत्र में सी.बे. विद्यालयों में 199 विद्यार्थी थे, जबकि न्यूनतम विद्यार्थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जू.बे. विद्यालयों में 133 विद्यार्थी एवं सी.बे. विद्यालयों में 121 विद्यार्थी थे । वर्ष 2009-10 में हा. से. विद्यालयों में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या केन्द्रीय क्षेत्र में 580 न्यूनतम रही जबकि सर्वाधिक 771 पूर्वी क्षेत्र में रही ।

शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन छात्र अध्यापक अनुपात है । वर्ष 2009-10 में प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या जू. बे. विद्यालयों में सर्वाधिक (81) पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में तथा सी.बे. विद्यालयों में सर्वाधिक (79) केन्द्रीय क्षेत्र में रही जबकि न्यूनतम छात्र अध्यापक अनुपात बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जू. बे. विद्यालयों में 64 एवं सी.बे. विद्यालयों में 43 था । वर्ष 2009-10 में प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या हा. से. विद्यालयों में सर्वाधिक (58) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (44) बुन्देलखण्ड एवं केन्द्रीय क्षेत्र में रही । इन मदों से सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े तालिका 6.6 में दर्शाये गये हैः-

तालिका-6.6

उत्तर प्रदेश में प्रति शिक्षण संस्थान/प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या

(2009-10)

क्रमांक	आर्थिक क्षेत्र	प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.	जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	210	194	771	81	75	58
2	पश्चिमी	176	192	604	81	69	49
3	केन्द्रीय	181	199	580	79	79	44
4	बुन्देलखण्ड	133	121	620	64	43	44
	उत्तर प्रदेश	**186**	**188**	**662**	**80**	**71**	**51**

वर्ष 2006-07 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू. बे. विद्यालयों, सी.बे. विद्यालयों व हा. से. विद्यालयों की संख्या के आँकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत के आँकड़ों की अपेक्षा प्रदेश में इनकी संख्या जू. बे. विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं में कम ही रही है। उक्त से सम्बन्धित आँकड़े तालिका 6.7 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-6.7

उत्तर प्रदेश एवं भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या

(2006-07)

क्रमांक	संस्थायें	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या	
		उत्तर प्रदेश	भारत
1	2	3	4
1	जू.बे. विद्यालय	74	70
2	सी.बे. विद्यालय	24	27
3	हा.से. विद्यालय	8	15

नोट: उक्त तालिका में वर्ष 2006-07 के लिये 1 अक्टूबर, 2006 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है ।

प्राथमिक शिक्षा/उच्च प्राथमिक शिक्षा :

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश का विशालतम प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है। शिक्षा जगत की व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त 12 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के कार्यालय है जो समस्त प्रदेश का कार्य देखते हैं।

जनपदीय स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के जनपदों में एक-एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये गये है। साथ ही विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गयी है जो विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा का मार्ग दर्शन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करते है।

वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से लेकर अब तक शिक्षा विशेष रूप से

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वैसे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। केन्द्र एवं राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण और सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सर्व शिक्षा अभियान अपनाया है। यह अभियान क्रान्तिकारी है। इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चे स्कूलों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में होगे। लक्ष्य यह भी है कि 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे पांच वर्षो की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर ले तथा साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति आ जाय कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे, वे स्कूल जाना बन्द न कर दें।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी जिसके लिये भारतीय संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संसद ने पारित कर दिया है और इसके साथ एक ऐसी क्रान्तिकारी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसके तहत् 6-14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं को नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का कर्त्तव्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। जहां वर्ष 1950-51 में 34833 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2875260 बच्चे अध्ययन कर रहे थे वहीं वर्ष 2009-10 में उक्त विद्यालयों की संख्या बढ़कर 198723 तथा उसमें अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या बढ़कर 37122424 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में 84804 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे थे वहीं वर्ष 2009-10 में उनकी संख्या बढ़कर 482421 हो गयी।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए वहां के प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना पहली मूलभूत आवश्यकता है । हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के सभी बालक, बालिकाओं को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना की गयी है ।

प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा को संचालित करने के उद्देश्य से साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा एवं उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय का गठन किया गया है, जिसमें मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का

कार्य मण्डलीय सहायक निदेशक बेसिक को सौंपा गया है ।

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ए.आई.ई.) केन्द्र

मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चे, रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध घूमन्तु, उपेक्षित जातियों के बच्चे, निर्माणाधीन बड़ी इमारतों पर लगे हुये श्रमिकों के बच्चे अथवा अन्य किसी विषम परिस्थितियों में रहने वाले 6-11 वय वर्ग के बच्चे, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने नही जा रहे है, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ए.आई.ई. प्राथमिक एवं ए.आई.ई. मदरसा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में केन्द्र संचालन का **लक्ष्य** निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	स्कीम	वर्ष 2009-10 का लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र (ए.आई.ई.प्रा.)	2940	1941(31.10.2009तक)
2	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र (ए.आई.ई.मदरसा)	1376	1234(31.03.2010 तक)

माध्यमिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश 240928 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। शिक्षा जगत की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था एवं नियन्त्रण हेतु प्रदेश में जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थापित हैं।

माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। किशोर बालक/बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के

प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता तथा आत्म विकास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। वर्ष 2009-10 में कुल 16510 माध्यमिक विद्यालय संचालित थे जिसमें 563 राजकीय तथा 15947 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें 4478 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 11469 वित्तविहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है। उक्त माध्यमिक विद्यालयों में 213040 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे है तथा कक्षा 6 से 12 तक 10928450 विद्यार्थी अध्ययनरत् है।

माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शैक्षिक सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के साथ-साथ पठन-पाठन की व्यवस्था में सुधार के लिये विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये है जिनमें बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है । प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक बालिकाओं का हाईस्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में **सावित्रीबाईफुले बालिका शिक्षा मदद योजना** संचालित की गयी जिसके अन्तर्गत प्रदेश की बी.पी. एल/अन्त्योदय श्रेणी की कार्डधारक परिवारों की छात्राओं को कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर रु0 15 हजार तथा स्कूल जाने-आने हेतु एक साईकिल तथा कक्षा 12 में अध्ययन करने पर रु0 10 हजार की द्वितीय किश्त दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2008-09 में कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली 86516 पात्र छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है ।

उच्च शिक्षा

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में उच्च शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है । उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में उच्च शिक्षा के लिए क्रमश: 918.72 करोड़ रूपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 135.71 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में क्रमश: 82.31 करोड़ रुपये व्यय किये गये । प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका-6.8 में दर्शाये गये है:-

तालिका–6.8

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रमांक	संस्थायें	वर्ष			
		2008–09		2009–10	
		संख्या	विद्यार्थी (हजार में)	संख्या	विद्यार्थी (हजार में)
1	2	3	4	5	6
1	विश्वविद्यालय	30	अप्राप्त	30	अप्राप्त
2	महाविद्यालय	2236	1919	2789	2054

उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा सुलभ कराने हेतु वर्ष 2008–09 में 30 विश्वविद्यालय तथा 2236 महाविद्यालय संचालित थे । वर्ष 2009–10 में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 2789 हो गयी, जबकि विश्वविद्यालयों की संख्या यथावत् रही । वर्ष 2008–09 में महाविद्यालयों में 1919 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत् थे जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 2054 हजार हो गये ।

प्रावैधिक शिक्षा

किसी देश की वास्तविक प्रगति का आंकलन वहां की शिक्षा, तकनीकी विकास एवं आर्थिक स्तर से होता है । अत: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित उद्योगों, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं उनसे सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रावैधिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । उद्योगों हेतु कुशल कर्मचारियों की पूर्ति के लिये प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है । वर्ष 2009–10 में उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर के 7 इंजीनियरिंग कालेज तथा 139 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान एवं 258 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध थे ।

तालिका-6.9
उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओ की प्रगति

	संस्थायें	2001-02	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	8	7	7
(I)	प्रवेश क्षमता	2301	1958	2000
(II)	वास्तविक प्रवेश	2301	1995	2083
2.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	88	93	139
(I)	प्रवेश क्षमता	7570	20220	25740
(II)	वास्तविक प्रवेश	7477	18650	20858

नोट:- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग डिग्री कालेज तथा आई.आई.टी, कानपुर आदि के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

स्रोत :- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में प्रावैधिक शिक्षा हेतु 988.97 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके समक्ष उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 11.15 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 8.75 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 55.77 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 22.65 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 102.03 करोड़ रुपये व्यय किये गये । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में प्रावैधिक शिक्षा हेतु 1992.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया हैं जिसके सापेक्ष वर्ष 2007-08 में इस मद पर 89.27 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में 80.07 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका-6.10 में दर्शाये गये है:-

तालिका-6.10

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2008–09 (वास्तविक अनुमान)	2009–10 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2010–11 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	809536	1105984	1267797
		(64.00)	(63.57)	(59.92)
2	माध्यमिक शिक्षा	350556	489700	624672
		(27.72)	(28.14)	(29.52)
3	उच्च शिक्षा	80664	114112	187429
		(6.38)	(6.56)	(8.86)
4	अन्य	24063	30129	35936
		(1.90)	(1.73)	(1.70)
	योग	1264819	1739925	2115834
		(100.00)	(100.00)	(100.00)

स्रोत- उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रुपरेखा-2010-2011

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद हेतु 2405.43 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । जिसके समक्ष उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 270.18 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 202.35 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 398.76 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 920.24 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 1946.61 करोड़ रुपये व्यय किये गये । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में इस मद हेतु 13194.05 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके समक्ष वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 1493.6 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-09 में 1847.39 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े तालिका 6.11 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-6.11
उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
	1.1.09	1.1.10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1 चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	4778	4780	2367	2367	1575	1575
2 शैय्याओं की संख्या	52220	71678	10899	10899	388	388
3 चिकित्सित रोगियों की संख्या **(हजार में)**	96854	1768498	14878	20172	17717	21125

एक जनवरी 2002 को उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या 4236 थी जो बढ़कर एक जनवरी 2010 को 4780 हो गयी। इसी प्रकार उक्त अवधियों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या क्रमश: 55684 से बढ़कर एक जनवरी 2010 को 71678 हो गयी ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति देश की परम्परागत एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति है । प्रदेश सरकार द्वारा इसके प्रचार तथा प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या 2210 थी, जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 2367 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2001-02 में इन चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या 10251 थी, जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 10899 हो गयी ।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्य दोनो चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में सस्ती मानी जाती है। जनसाधारण में इस चिकित्सा पद्धति की ओर विशेष विश्वास बढ़ रहा हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी इसके प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में होम्योपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या 1342 थी, जो बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1575 हो गयी, यद्यपि उक्त चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या वर्ष 2001-02 में 383 थी, जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 388 ही रह गयी। वर्ष 2001-02 में होम्योपैथिक

चिकित्सा पद्धति से चिकित्सित रोगियों की संख्या 12361 थी जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 21125 हो गयी। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

परिवार कल्याण :

बढ़ती हुई जनसंख्या देश एवं प्रदेश के विकास में एक प्रमुख अवरोधक है। अत: इसको नियंत्रित करने तथा जनसामान्य को इससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे है ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में कुल 420.40 हजार व्यक्तियों ने अनुर्वरीकरण कराया जो वर्ष 2008-09 के 479.51 हजार की तुलना में 12.3 प्रतिशत कम था । इनमें वर्ष 2009-10 में अनुर्वरीकरण कराने वाले पुरुषों की संख्या 10.28 हजार थी जो गत वर्ष 11.13 हजार की तुलना में 7.6 प्रतिशत कम थी । इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में महिला अनुर्वरीकरण की संख्या 410.12 हजार थी जो गत वर्ष 468.33 हजार की तुलना में 12.4 प्रतिशत कम रही ।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2008-09 में लूप निवेशन तथा कापर टी एवं ओरल पिल्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमश: 2105.5 हजार एवं 858.14 हजार थी। वर्ष 2009-10 में उक्त साधनों का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमश: 1522.2 हजार तथा 692.97 हजार हो गयी ।

महिला एवं बाल कल्याण :

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को टिटनेस, काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008-09 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 55.28 लाख टी.टी., 52.53 लाख डी.पी.टी., 54.07 लाख पोलियो ड्राप, 56.05 लाख बी.सी.जी. एवं 52.94 लाख मीजिल्स

के टीके लगाए गये । वर्ष 2009-10 में उक्त टीकों की संख्या क्रमश: 58.26 लाख, 55.33 लाख, 55.33 लाख, 57.07 लाख एवं 54.77 लाख थी।

समाज कल्याण:

समाज के कमजोर वर्गो, वृद्धों, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अशक्त एवं बेसहारा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हैं । इस हेतु प्रदेश का समाज कल्याण विभाग सतत् प्रयासरत् है । वर्ष 1995-96 से समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित योजनाओं को पृथक-पृथक नये विभागों का सृजन कर उनके माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया फलस्वरुप महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण एवं विकलांग कल्याण विभाग अस्तित्व में आये ।

समाज कल्याण विभाग एवं उसके अनुषंगी ईकाइयों द्वारा अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा विभिन्न वर्गो के आर्थिक रुप से कमजोर छात्र छात्राओं को प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है ।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के समस्त अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 5 तक 25रु0 प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक 40रु0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। हाईस्कूल में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को, जिनके अभिभवाको की मासिक आय 2500रु0 तक है को 60 रु0प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बंधी अर्हता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । वर्तमान में एक लाख रुपये वार्षिक आय सीमा वाले अभिभावाकों के बच्चे इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र है ।

छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण

हेतु उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु दान देना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे समस्त वृद्ध जनों को 300रु0 प्रतिमाह की पेंशन अनुमन्य है, जिनका परिवार बी.पी.एल. सूची 2002 में सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपयें का प्राविधान किया गया है। पुत्रियों की शादी हेतु 10 हजार रुपये एवं बीमारी हेतु 5 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। शादी हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 200 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है ।

इसी प्रकार राज्य सरकार के विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेशन योजना) के अन्तर्गत 300 रु0 प्रतिमाह ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता हो तथा मासिक आय एक हजार रु0 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के विकलाागों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण प्रदान करना, विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार, दुकान निर्माण एवं संचालन तथा विकलांगता निवारण के लिये शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान भी दिये जाते है ।

निराश्रित विधवा महिलाओं हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना संचालित की जा रही है । पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं बेरोजगार युवक-युवतियों को 'ओ' लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा व्यसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही है ।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन एवं छात्रवृत्तियों को तालिका-6.12 में दर्शाया गया है:-

तालिका-6.12

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन एवं छात्रवृत्ति

विभाग का नाम	योजना का स्वरुप (पेंशन/ छात्रवृत्ति)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या		वितरित धनराशि (लाख रु0 में)	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	छात्रवृत्ति	3153756	35601386	12580.7	14225.82
महिला कल्याण विभाग	विधवा पेंशन	1488243	1567357	53201.12	55832.62
विकलांग कल्याण विभाग	विकलांग पेंशन	703447	708077	23837.30	25187.70
पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग	छात्रवृत्ति	20737433	21492024	92106.24	89426.37
समाज कल्याण विभाग	पेंशन	4184424	3823799	137975.872	138768.826
	छात्रवृत्ति	15009972	2964460	73374.25	78110.81

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा :

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 628 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 421 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1575 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 37 लाख थी।

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर :

प्रदेश में जन साधारण को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप जन्मदर, मृत्युदर तथा शिशु-मृत्युदर में कमी दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 1990 में प्रदेश में उपलब्ध प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर, मृत्युदर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 35.7, 12.0 एवं 98.0 थी, जो निरन्तर गिरते हुए वर्ष 2008 में क्रमशः 29.1, 8.4 एवं 67 हो गयी । राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2008 में उक्त संख्या क्रमशः 22.8, 7.4 एवं 53 थी ।

****

अध्याय–7

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है । वर्ष 2001 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15 59 वय वर्ग की जनसंख्या का अंश 51.68 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 56.93 प्रतिशत था।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 539.84 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 221.68 लाख कृषक, 134.01 लाख कृषि श्रमिक, 30.31 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 153.84 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमश: 393.38 लाख तथा 146.46 लाख थी ।

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण (2001 की जनगणनानुसार) तालिका 7.1 में दिया जा रहा है:-

तालिका–7.1

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण, 2001

(लाख में)

मद	ग्रामीण	नगरीय	उत्तर प्रदेश	कर्मकरों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1 कृषक	217.55	4.13	221.68	41.1
2 कृषि श्रमिक	129.31	4.70	134.01	24.8
3 पारिवारिक उद्योग	21.64	8.67	30.31	5.6
4 अन्य	78.26	75.58	153.84	28.5
कुल कर्मकर	**446.76**	**93.08**	**539.84**	**100.0**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 41.1 प्रतिशत कृषक के रूप में, 24.8 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.6 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 28.5 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं । कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–7.2 में दर्शाये गये है

तालिका–7.2
उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर	कार्य न करने वाले
1	2	3	4	5
ग्रामीण	312.43	134.33	446.76	869.82
नगरीय	80.95	12.13	93.08	252.32
उत्तर प्रदेश	**393.38**	**146.46**	**539.84**	**1122.14**

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 539.84 लाख कर्मकरों में से 446.76 लाख कर्मकर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 93.08 लाख कर्मकर नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे।कुल कर्मकरों में 393.38 लाख मुख्य कर्मकर एवं 146.46 लाख सीमान्त कर्मकर थे। कुल मुख्य कर्मकरों में 312.43 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 80.95 लाख नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे । इसी प्रकार कुल 146.46 लाख सीमान्त कर्मकरों में 134.33 लाख ग्रामीण क्षेत्र में एवं 12.13 लाख नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे। प्रदेश में 1122.14 लाख की जनसंख्या कार्य न करने वालों की थी।

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्चशिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वत: नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सेवायोजन सेवा के अन्तर्गत 93 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न जनपदों में संचालित है।

सेवायोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा रोजगार के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार सुलभ कराने हेतु प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय है । उक्त निदेशालय के अधीन जिला स्तर पर जिला सेवायोजन कार्यालय कार्यरत है । जनपद स्तर पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीयन करना तथा स्वत: नियोजन के लिये उन्हें प्रेरित करने का उत्तरदायित्व जनपदीय कार्यालयों का है । सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों तथा महिलाओं को रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीयन तथा सवेतन रोजगार कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन कराना होता है। ऐसे अभ्यर्थी भी अपना पंजीयन करा सकते है, जो सेवारत है और अच्छे रोजगार की तलाश में रहते है। पंजीयन तीन वर्षो के लिए मान्य होता है। इसके उपरान्त अभ्यर्थियों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण के अभाव में अभ्यर्थियों का नाम सक्रिय पंजिका से हटा दिया जाता है। पंजीयन के समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

सेवायोजन कार्यालयों में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त नियोजकों तथा निजी क्षेत्र के ऐसे नियोजक जिनके यहां 25 अथवा अधिक कार्मिक कार्यरत है, को अपनी रिक्तियों की अधिसूचना करना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए ऐच्छिक है कि वे सेवायोजन कार्यालयों से नाम मंगाये अथवा न मंगाये। नियोजकों से रिक्तियां प्राप्त होने पर सेवायोजन कार्यालयों में नियोजक के नाम से तुरन्त अभिलेख खोल दिया जाता है। उसमें नियोजक की मांग का पूर्ण विवरण रखा जाता है। इसके उपरान्त नियोजक की मांग के अनुरूप योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का नाम पंजीयन की वरिष्ठता के आधार पर सम्प्रेषित किया जाता है। नियोजक को नाम भेजते

समय यह अनुरोध किया जाता है कि वे चयनित अभ्यर्थियों की सूची सेवायोजन कार्यालय में उपलब्ध करायें। चयन का परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाता है।

इस प्रकार सेवायोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के बीच रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका के निर्वहन हेतु सेवायोजन कार्यालय बेरोजगार अभ्यर्थियों को पंजीकृत करके सेवायोजकों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन हेतु सेवायोजकों के पास भेजकर अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराते हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 7.3 में दिये जा रहे है:-

तालिका–7.3

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2008	2009	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	429	367	(–)14.5
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	8567	7302	(–)14.8
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	69777	61895	(–)11.3
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	2322	7613	227.9
5.	स्वत: रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	4690	3922	(–)16.4
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3189	2126	(–)33.3

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 367 हजार थी जो गत वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत कम रही। इसी कम में वर्ष 2009 में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 7302 थी जो गत वर्ष की अपेक्षा 14.8 प्रतिशत कम रही । उत्तर प्रदेश में सवेतन रोजगार में लगे अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2009 में 7613 थी, जो गत वर्ष की अपेक्षा 227.9 प्रतिशत अधिक रही तथा स्वत: रोजगार में लगे अभ्यर्थियों की संख्या 3922 रही जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 16.4 कम है । वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2009 में 2126 हजार थी जो गत वर्ष 2008 की अपेक्षा 33.3 प्रतिशत कम रही ।

स्वत: रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ती बेरोजगारी पर नियन्त्रण हो सके इस पृष्ठभूमि में वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वत: नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप स्वत: नियोजन के क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने धन्धे स्थापित करने के अवसर प्राप्त हो रहे है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वत: रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वत: नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली-भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वत: रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार धन्धा आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 4690 तथा वर्ष 2009 में 3922 अभ्यर्थियों को स्वत: नियोजित कराया गया । निदेशालय स्तर पर स्वत: नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका-7.4 में दर्शाया गया हैं:-

तालिका-7.4

उत्तर प्रदेश में स्वत: नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2008	2009	
1	2	3	4	5
1.	स्वत: नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	14347	9059	(-)36.9
2.	स्वत: नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	12441	8203	(-)34.1
3.	स्वत: नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	4690	3922	(-)16.4
4.	स्वत: नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	8762	11968	36.6
5.	स्वत: नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	1511	1425	(-)5.7
6.	वर्ष के अन्त में स्वत: नियोजन से सम्बन्धित सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	81911	60261	(-)26.4

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वत: नियोजन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009 में 9059 अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया गया तथा 11968 सामूहिक वार्तायें एवं 1425 गोष्ठियां आयोजित की गई । वर्ष 2009 में स्वत: नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में 36.9 प्रतिशत कम रही । इसी प्रकार प्रार्थनापत्रों का अग्रसारण भी वर्ष 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा 34.1 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2009 में आयोजित सामूहिक वार्तायें गत वर्ष की अपेक्षा 36.6 प्रतिशत अधिक रही । इसी प्रकार वर्ष 2009 में आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या भी गत वर्ष की तुलना में 5.7 प्रतिशत कम रही ।

उत्तर प्रदेश में विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वत: नियोजित कराये जाने की प्रगति का विवरण तालिका 7.5 में दर्शाया गया है:-

तालिका-7.5

उत्तर प्रदेश में स्वत: नियोजित कराए गए विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या

विशेष वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
	2008	2009	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1. अनुसूचित जाति	1592	1171	(-)26.4
2. अनुसूचित जनजाति	6	-	-
3. विकलांग	67	106	58.2
4. महिलाएं	413	323	(-)21.8
5. पिछड़ी जाति	1049	723	(-)31.1
6. भूतपूर्व सैनिक	-	-	-
7. शिल्पकार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित	33	6	(-)81.8

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009 में स्वत: नियोजित कराये गये विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आयी है। प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 7.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका–7.6

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	753	743	(–)1.3
2.राज्य सरकार	8302	8353	0.6
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5245	5294	0.9
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1604	1590	(–)0.9
5.स्थानीय निकाय	1313	1312	(–)0.1
योग	**17217**	**17292**	**0.4**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2008 से मार्च, 2009 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुई है।प्रदेश में मार्च, 2008 के अन्त में 17217 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो 0.4 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2009 में 17292 हो गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 75 की वृद्धि हुई है ।

जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक एक वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 48 तथा निजी क्षेत्र के 100 कुल 148 नये नियोजकों को सेवायोजक पंजिका पर अभिज्ञानित किया गया । रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 7.7 में दिये जा रहे है:-

तालिका–7.7

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

कमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5002	5022	0.4
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3413	3354	(–)1.7
	योग	**8415**	**8376**	(–)0.5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि में निजी क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में कमी पायी गई ।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2009 में 16.15 लाख थी जो मार्च, 2008 की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम रही ।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका-7.8 में दी जा रही है:-

तालिका-7.8

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (लाख में)

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	333741	329192	(-)1.4
2.	राज्य सरकार	668870	672622	0.6
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	167569	169164	1.0
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	338510	333225	(-)1.6
5.	स्थानीय निकाय	110260	110896	0.6
	योग	**1618950**	**1615099**	**(-)0.2**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार एवं अर्द्ध सरकार (राज्य) में गत वर्ष की अपेक्षा मार्च, 2009 में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आयी है ।

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा 2-1 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई । निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 7.9 में दिये गये है-

तालिका–7.9

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

कमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	446932	457597	2.4
2	नानएक्ट अधिष्ठान	48463	48196	(–)0.6
	योग	**495395**	**505793**	**2.1**

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है । इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 7.10 में दिया गया है –

तालिका–7.10

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, पशुधन एवं वन सम्पदा	43566	42171	(–)3.2
"बी"	मत्स्य सेवायें	1222	1240	1.5
"सी"	खान एवं उत्खनन्	4924	4919	(–)0.1
"डी"	उत्पादन	113934	108929	(–)4.4
"ई"	विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति	65091	63809	(–)2.0
"एफ"	निर्माण	127974	126729	(–)1.0
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार,मोटरगाड़ी, मोटर साइकिल तथा वैयक्तिक एवं घरेलू सामानों की मरम्मत	14699	14305	(–)2.7
"एच"	होटल एवं रेस्टोरेंट	382	384	0.5
"आई"	परिवहन, भण्डारण एवं संचार	273252	271216	(–)0.7
"जे"	फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन	103395	103540	0.1
"के"	रियल स्टेट, रेन्टिग एवं व्यापारिक कियायें	8647	8636	(–)0.1
"एल"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	431890	438284	1.5
"एम"	शिक्षा	264922	266075	0.4
"एन"	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	129289	129388	0.1
"ओ"	अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवायें	35763	35474	(–)0.8
	योग	**1618950**	**1615099**	**(–)0.2**

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि मत्स्य सेवायें, होटल एवं रेस्टोरेंट, फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन, लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य वर्ग को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2009 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है और यह कमी सर्वाधिक उत्पादन वर्ग में 4.4 प्रतिशत हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका-7.11 में दिया गया है -

तालिका-7.11

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, पशुधन एवं वन सम्पदा	546	543	(-)0.5
"सी"	खान एवं उत्खनन्	12	12	0
"डी"	उत्पादन	248594	247614	(-)4.0
"ई"	विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति	3432	3249	(-)5.3
"एफ"	निर्माण	113	170	50.4
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार,मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल तथा वैयक्तिक एवं घरेलू सामानों की मरम्मत	7935	7768	(-)2.1
"एच"	होटल एवं रेस्टोरेंट	5566	5460	(-)1.9
"आई"	परिवहन, भण्डारण एवं संचार	2599	12492	380.6
"जे"	फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन	5285	5680	7.5
"के"	रियल स्टेट, रेन्टिग एवं व्यापारिक क्रियायें	7213	8541	18.4
"एम"	शिक्षा	201193	201471	0.1
"एन"	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	7444	7436	(-)0.1
"ओ"	अन्य सामुदायिक,सामाजिकएवं वैयक्तिक सेवायें	5463	5357	(-)1.9
	योग	**495395**	**505793**	**2.1**

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, पशुधन एवं वन सम्पदा, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति, थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल तथा वैयक्तिक एवं घरेलू सामानों की मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य तथा अन्य सामुदायिक,सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवायें वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2009 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक " परिवहन, भण्डारण एवं संचार" वर्ष में 380.6 प्रतिशत हुई। निर्माण वर्ष में 50.4 प्रतिशत की वृद्धि द्वितीय स्थान पर रही ।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2009 में गत वर्ष की अपेक्षा 1.2 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत अधिक रही। जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इन्हें तालिका 7.12 से देखा जा सकता है:-

तालिका–7.12

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2008	मार्च, 2009	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	180410	182577	1.2
2	निजी क्षेत्र	60626	63401	4.6
	योग	**241036**	**245978**	**2.1**

****

अध्याय–8

प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशायें

प्रदेश के विकास में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख अवरोधक है । जनसंख्या भार से त्रस्त, प्राकृतिक भौतिक संसाधनों की कमी, प्रतिकर्मकर औसत आय की न्यूनता, प्रदेश वासियों में कर देय क्षमता का अभाव तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निजी वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थता के कारण प्रदेश में बचत एवं पूंजी निर्माण की क्षीण सम्भावनायें है । इस प्रकार प्रदेश में आर्थिक विकास हेतु अपेक्षित पूंजी का अभाव है । प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है । प्रदेश में उपलब्ध श्रम शक्ति हेतु लाभदायी रोजगार के अवसर सुलभ कराये जाने हेतु विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता है । पूंजी के अभाव में प्रदेश के विकास में वांछित सफलता नही मिल पा रही है । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रतिव्यक्ति राज्य आय में न्यूनता तथा उसमें निरन्तर बढ़ता हुआ अन्तराल प्रदेश के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में प्रतिकूल लक्षण हैं । प्रदेश के आर्थिक विकास को वास्तव में विकासोन्मुख बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश की जनसंख्या में उपलब्ध वृद्धि को कम करने के विशेष प्रयास किये जाय ।

नियोजित विकास के सन्दर्भ में योजना परिव्यय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रदेश की विशाल जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन तथा प्राकृतिक खनिज सम्पदा आदि का अभाव इत्यादि कारणोंवश प्रदेश को अधिक योजना परिव्यय की आवश्यकता रही है । जबकि प्रदेश की प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय सम्पूर्ण राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय से कम है । इससे सन्दर्भित आंकड़े तालिका 8.1 में दर्शाये गये हैं-

तालिका–8.1

उत्तर प्रदेश एवं समस्त राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय

(रूपये)

	योजनावधि	प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय		समस्त राज्यों के औसत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय की कमी (प्रतिशत)
		उत्तर प्रदेश	समस्त राज्यों का औसत	
	1	2	3	4
1	प्रथम(1951–56)	25	38	34.2
2	द्वितीय(1956–61)	32	51	37.3
3	तृतीय(1961–66)	72	92	21.7
4	वार्षिक योजनायें(1966–69)	53	61	13.1
5	चतुर्थ(1969–74)	132	142	7.0
6	पांचवीं(1974–79)	329	361	8.9
7	छठीं(1980–85)	588	718	18.1
8	सातवीं(1985–90)	1077	1270	15.2
9	(1990–91)	237	275	13.8
10	(1991–92)	237	293	19.1
11	आठवीं(1992–97)	1559	2205	29.3
12	नवीं(1997–2002)	1704	3421	50.2
13	दसवीं (2002–2007)	3299	6026	45.3
14	ग्यारहवीं (2007–2012)*	10903	14424	24.4
	2009–10*	2347	2545	8.4

स्रोत : उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा 2010–2011

***परिव्यय**

तालिका 8.1 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम योजनावधि में प्रति व्यक्ति योजना व्यय 25 रूपये से बढ़कर दसवीं योजनावधि में 3299 रूपये हो गया, जबकि समस्त राज्यों के औसत प्रतिव्यक्ति योजना व्यय में सम्वादी वृद्धि 38 रू0 से बढ़कर 6026 रू0 हो गयी। ग्यारहवीं योजनावधि में प्रदेश का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 10903 रू0 है, जबकि इस अवधि में समस्त राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय बढ़कर 14424 रू0 हो गया।

प्रदेश में ही विभिन्न मदों हेतु विकास के लिए वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के प्रयास किये जाते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के उद्देश्य से विकास मदों की प्राथमिकतायें निर्धारित की जाती हैं । प्राथमिकतानुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में विकास हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित योजना परिव्यय/व्यय का खण्डवार वितरण तालिका 8.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका- 8.2

उत्तर प्रदेश में योजना परिव्यय/व्यय का प्रमुख मदवार वितरण

(करोड़ रु0 में)

	मद	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में स्वीकृत परिव्यय का अंश	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परिव्यय का अंश	वर्ष 2009-10 में व्यय का अंश (अनन्तिम)
	1	2	3	4
1-	कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	19146.37	2671.72	3042.79
2-	ग्राम्य विकास एवं रोजगार	7658.00	2591.33	2829.63
3-	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16338.22	3214.57	3224.32
4-	विद्युत ऊर्जा	26371.03	5628.91	5104.12
5-	उद्योग एवं खनिज	2347.10	3414.29	3422.29
6-	यातायात	27328.64	4435.33	4751.43
7-	शिक्षा	18850.83	2242.56	2285.35
8-	स्वास्थ्य	13194.05	1907.66	1971.88
9-	जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता	5367.34	1105.78	1062.41
10-	अन्य	44492.42	11787.85	11022.43
	योग	**181094.00**	**39000.00**	**38716.65**

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा यातायात मद में सर्वाधिक 27328.64 करोड़ रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया । वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परिव्यय 39000 करोड़ रुपये के सापेक्ष 38176.65 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

तालिका- 8.3

उत्तर प्रदेश में योजना परिव्यय/व्यय का प्रमुख मदवार प्रतिशत वितरण

मद	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में स्वीकृत परिव्यय का प्रतिशत अंश	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परिव्यय का प्रतिशत अंश	वर्ष 2009-10 में व्यय का प्रतिशत अंश (अनन्तिम)
1	2	3	4
1- कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	10.57	6.85	7.86
2- ग्राम्य विकास एवं रोजगार	4.23	6.64	7.31
3- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9.02	8.24	8.33
4- विद्युत ऊर्जा	14.56	14.43	13.18
5- उद्योग एवं खनिज	1.30	8.76	8.84
6- यातायात	15.09	11.37	12.27
7- शिक्षा	10.41	5.75	5.90
8- स्वास्थ्य	7.29	4.89	5.09
9- जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता	2.96	2.84	2.75
10- अन्य	24.57	30.23	28.47
योग	**100.00 (181094.00)**	**100.00 (39000.00)**	**100.00 (38716.65)**

स्रोत - वार्षिक योजना-2010-2011, खण्ड-2, उत्तर प्रदेश ।

टिप्पणी- कोष्ठक में धनराशि करोड़ रूपये में दर्शायी गयी है ।

तालिका- 8.3 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में राज्य सरकार द्वारा यातायात से सम्बन्धित कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक 15.09 प्रतिशत अंश आवंटित किया गया है । इसके उपरान्त (अन्य मद को छोड़कर) विद्युत उर्जा 14.56 प्रतिशत, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय 10.57 प्रतिशत, शिक्षा 10.41 प्रतिशत तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण 9.02 प्रतिशत इत्यादि कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष (2009-10) में सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि 39000 करोड़ रुपये का (अन्य मद को छोड़कर) विद्युत उर्जा (14.43 प्रतिशत), यातायात (11.37 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज (8.76 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (8.24 प्रतिशत) आदि मदों को आवंटित किया गया है ।

****

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14496
Date : 24-7-2013
Documentation Centre

NUEPA DC
D4496

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

(31-03-2010 की स्थिति)

आर्थिक क्षेत्र	सम्मिलित जनपद		
1	2		
1-**पश्चिमी क्षेत्र**	1- सहारनपुर	2- बुलन्दशहर	3- मेरठ
	4- गाजियाबाद	5- मु0 नगर	6- अलीगढ़
	7- मथुरा	8- आगरा	9- मैनपुरी
	10- एटा	11- बरेली	12- बिजनौर
	13- बदायूं	14- मुरादाबाद	15- शाहजहांपुर
	16- पीलीभीत	17- रामपुर	18- फर्रुखाबाद
	19- इटावा	20- फिरोजाबाद	21- गौतमबुद्ध नगर
	22- हाथरस	23- ज्योतिबाफूलेनगर	24- कन्नौज
	25- बागपत	26- औरय्या	27- कांशी राम नगर
2- **केन्द्रीय क्षेत्र**	1- कानपुर(नगर)	2- कानपुरदेहात (रमाबाई नगर)	3- फतेहपुर
	4- लखनऊ	5- उन्नाव	6- रायबरेली
	7- सीतापुर	8- हरदोई	9- खीरी
	10- बाराबंकी		
3- **पूर्वी क्षेत्र**	1-इलाहाबाद	2- वाराणसी	3- मिर्जापुर
	4- जौनपुर	5- गाजीपुर	6- बलिया
	7- गोरखपुर	8- देवरिया	9- बस्ती
	10- आजमगढ़	11- फैजाबाद	12- गोण्डा
	13- बहराइच	14- सुल्तानपुर	15- प्रतापगढ़
	16- सोनभद्र	17- महराजगंज	18- सिद्वार्थ नगर
	19- मऊ	20- संत रविदास नगर(भदोही)	21- पडरौना
	22- अम्बेदकरनगर	23- कौशाम्बी	24- चन्दौली
	25- बलरामपुर	26- श्रावस्ती	27- सन्तकबीर नगर
4-**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**	1- बांदा	2- हमीरपुर	3- जालौन
	4- झांसी	5- ललितपुर	6- महोबा
	7- चित्रकूट		

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in